

प्रौढ़ शिक्षा

जुलाई – दिसम्बर 2019

वर्ष 63 अंक-3,4

सम्पादक मण्डल

प्रो. भवानीशंकर गर्ग
(संरक्षक)

श्री मृणाल पंत
श्री ए.एच.खान
डा. सरोज गर्ग
श्री दुर्लभ चेतिया
डा. डी.के.वर्मा
डा. उषा राय
डा. मदन सिंह
श्री एस.सी. खंडेलवाल
श्री राजेन्द्र जोशी

प्रधान संपादक
श्री कैलाश चौधरी

सम्पादक
डा. मदन सिंह

सहायक सम्पादक
बी. संजय

इस अंक में

सम्पादकीय

मुक्त व दूरस्थ शिक्षा पद्धति के कार्यक्रमों
की उपलब्धता पर एक अध्ययन

अनामिका देवांगन
धानेश्वर हरिचंदन

5

साक्षर भारत की उपलब्धियां

रचना सिद्धा

19

कौशल विकास के लिए मुक्त शिक्षा
संसाधन मुक्त विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण
अशोक कुमार गाबा

पी. प्रकाश

25

सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण का प्रशिक्षार्थियों
की अभिवृत्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का
अध्ययन

उमेश चमोला 22

शिक्षा का अधिकार : एक अध्ययन

जोस कलापुरा
आशुतोष विशाल

48

मूल्य: रुपये 200/-वार्षिक

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक
विचार हैं, जिनके लिए संघ एवं सम्पादक की सहमति
अनिवार्य नहीं है।

इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की स्थापना : एक सराहनीय पहल

संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर भारत सहित विश्व के लगभग सभी देशों की राष्ट्रीय सरकारें आज सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी 2030) के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रयासरत हैं। अपने राष्ट्रीय विकास की गति को तीव्र करने के लिए भारत जनसांख्यिकी लाभांश लेने हेतु तत्पर है और इसलिए सभी स्तरों पर कौशल विकास को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए गत 11 सितम्बर 2019 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मुबई में इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की स्थापना की गई।

इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आईआईटी) तथा इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) की तर्ज पर विकसित किए जा रहे इस संस्थान का उद्देश्य देश के युवाओं को विश्व के अद्यतन तकनीकी कौशल में प्रशिक्षित करना है, ताकि सतत् विकास लक्ष्य 2030 के लक्ष्य क्रमांक 4.3 एवं 4.4 की प्रतिबद्धताओं यथा सभी पुरुष एवं महिलाओं को एक समान, गुणवत्तापूर्ण तकनीकी, व्यावसायिक तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना; तथा उपयुक्त कौशल, तकनीकी, तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं एवं वयस्कों, जो मर्यादित रोजगार प्राप्त कर सकें, को उनकी संख्या में पर्याप्त बढ़ोतरी सुनिश्चित किया जा सके।

इस संस्थान द्वारा विशेषरूप से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पास उन विद्यार्थियों को कई चयनित उच्च विशेषज्ञता वाले तकनीकी क्षेत्र में विश्व स्तरीय दक्षता प्रदान करने लायक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रति वर्ष 5 हजार छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने की क्षमता वाले इन संस्थानों को पब्लिक-प्राईवेट पार्टनरशीप की मॉडल पर विकसित किया जाएगा जो न लाभ न हानि (नो प्रॉफिट नो लॉस) की सिद्धांत पर कार्य करेंगे। वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा क्रमशः मुबई, अहमदाबाद एवं कानपुर में ऐसी तीन संस्थानों की स्थापना की मंजूरी दी गई है।

विश्व स्तरीय ये संस्थान दुनिया भर के उच्च प्रतिमानों को अपनाते हुए देश के तकनीकी जरूरतों को पूरा करने का कार्य करेंगे। और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यहां से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को लगभग शत-प्रतिशत रोजगार प्राप्त हो सके। ये संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त अन्य तकनीकी संस्थानों से कार्यात्मक संपर्क स्थापित करते हुए भारत के छात्रों को तत् संबंधित क्षेत्र के अधुनातन तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इन संस्थानों का लक्ष्य संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्र के उद्योगों के साथ मिलकर ऐसे

तकनीकी विषयों में शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करना है जिनकी बाजार में बड़ी मांग हो। ये संस्थान प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के सहयोग से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा तथा डिग्री तक की शिक्षा प्रदान करेंगे। ज्ञातव्य है कि मुंबई में नेशनल स्कील ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के परिसर में स्थापित हो रहे इस संस्थान के लिए टाटा समूह ने 300 करोड़ रुपयों का निवेश किया है तथा सरकार ने 25 वर्षों के लिए 4.5 एकड़ जमीन प्रदान की है।

सभी जानते हैं कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने, देश के विकास में जनसांख्यिकीय लाभांश का समुचित उपयोग करने तथा बेरोजगारी की समस्या के समाधान में कौशल विकास की केन्द्रीय भूमिका है। सरकार द्वारा कौशल विकास के लिए इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिकल्स की स्थापना निश्चित ही एक प्रभावी भूमिका का निर्वहन करेगी। साथ ही साथ देश के अपरेंटिसशिप नियमों में परिवर्तन कर ज्यादा से ज्यादा छात्रों को शामिल करने का प्रयास भी कौशल विकास की दिशा में उठाया गया एक सराहनीय कदम माना जाएगा। पहले जहां औद्योगिक प्रतिष्ठान अपनी कुल श्रमशक्ति का 10 प्रतिशत अपरेंटिस रख सकते थे ताजा नियमों के अनुसार अब वे 15 प्रतिशत अपरेंटिस रख सकेंगे। पहले न्यूनतम 40 कार्यबल वाले उद्योग ही अपरेंटिस रख सकते थे अब न्यूनतम 30 कार्यबल वाले उद्योग भी अपरेंटिस रख सकेंगे। पारिश्रमिक की राशि को न्यूनतम वेतन से जोड़ने के बजाए निश्चित कर दिया गया है जिसमें दूसरे व तीसरे वर्ष के लिए 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। अपरेंटिसशिप की अवधि 6 महीने से 36 महीनों तक की हो सकती है।

विदित हो कि भारत सरकार ने एक अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि में लगभग 2.8 लाख अतिरिक्त अपरेंटिस दाखिल करने का लक्ष्य रखा है जिसके तहत महिलाओं को विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाएगी ताकि महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है कि इन प्रयासों से महिला सशक्तीकरण को पर्याप्त बल मिलेगा।

बी.संजय

मुक्त व दूरस्थ शिक्षा पद्धति के कार्यक्रमों की उपलब्धता पर एक अध्ययन

अनामिका देवांगन
धानेश्वर हरिचंदन

मुक्त व दूरस्थ शिक्षा (ओडिएल) औपचारिकेतर शिक्षा पद्धति का एक रूप है, जिसमें शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में शोध हेतु चयनित क्षेत्र के निवासियों के लिए वर्तमान में मुक्त व दूरस्थ शिक्षा पद्धति की कौन-कौन सी संस्थाएँ उपलब्ध हैं तथा इन संस्थाओं द्वारा कितने प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं इसका अध्ययन किया गया है। चूंकि शोध हेतु चयनित क्षेत्र नवी मुंबई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसलिए उपरोक्त उद्देश्य के संदर्भ में महाराष्ट्र राज्य हेतु उपलब्ध मुक्त व दूरस्थ शिक्षा संस्थानों से संबंधित द्वितीयक आँकड़ों का संग्रहण तथा विश्लेषण किया गया। उपरोक्त संदर्भ में आकड़ों के विश्लेषण से यह पाया गया कि ओडिएल की कुल 16 संस्थाएँ शोध क्षेत्र हेतु उपलब्ध हैं। ओडिएल के इन उपलब्ध संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत ओडिएल कार्यक्रमों की कुल संख्या 364 है। प्रस्तुत अध्ययन में यह पाया गया कि शोध क्षेत्र में सर्वाधिक 34.9 प्रतिशत डिप्लोमा स्तर के ओडिएल कार्यक्रम हैं, इसके बाद 33.8 प्रतिशत ओडिएल कार्यक्रम स्नातकोत्तर स्तर के तथा प्रमाण पत्र स्तर के 16.5 प्रतिशत कार्यक्रम हैं, वहीं स्नातक स्तर के ओडिएल कार्यक्रम सबसे कम अर्थात् केवल 14.8 प्रतिशत पाए गए। शोध क्षेत्र के संदर्भ में उपलब्ध समस्त ओडिएल संस्थाओं के कुल कार्यक्रमों का केवल 24.5 प्रतिशत कार्यक्रम पारंपारिक पाठ्यक्रम युक्त हैं तथा सर्वाधिक 75.5 प्रतिशत कार्यक्रम व्यवसायिक पाठ्यक्रम युक्त पाए गए। पारम्परिक पाठ्यक्रमों की उपलब्धता में कमी इसकी उपयोगिता की कमी को प्रदर्शित करता है, अतः पारम्परिक पाठ्यक्रमों की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए इन पाठ्यक्रमों को व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के साथ परस्पर संबद्ध किए जाने की आवश्यकता है।

प्रस्तावना

उच्च शिक्षा के संदर्भ में मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा (ओडिएल) ऐसे लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है, जो विभिन्न कारणों से औपचारिक शिक्षा पद्धति में प्रवेश नहीं ले पाते या जो नियमित कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो पाते जैसे श्रमजीवी जनता। औपचारिक शिक्षा पद्धति की कार्यात्मक रूपरेखा की दिशा भविष्य के कार्यबल के लिए ज्ञान, कौशल और मूल्य प्रदान करना है, जबकि ओडिएल के कार्यात्मक रूपरेखा की दिशा भविष्य के कार्य बल, गृहिणी और विभिन्न व्यवसायों में काम करने वाले लोगों को नवीन ज्ञान, कौशल और मूल्य प्रदान करना है। कोई भी शिक्षा पद्धति समाज का

विकास तभी कर सकती है जब वह समाज की बदलती हुई स्थिती को पहचाने तथा उसकी आवश्यकताओं को समझे। चूँकि औपचारिक शिक्षा पद्धति शिक्षा अपने नियमों तथा सीमाओं में बंधे हुए हैं, अतः बदलती सामाजिक आशयकताएँ ओडिएल शिक्षा पद्धति द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है।

आज विश्व के प्रायः सभी देशों में ओडिएल पद्धति को अपनाया जा रहा है। इस प्रकार यह नवीन शिक्षण प्रणाली औपचारिक शिक्षा प्रणाली की चहारदीवारी को तोड़ती हुई एक ऐसी संकल्पना का निर्माण करती है, जिसका उद्देश्य सीखने वालों के अधिकाधिक उद्देश्यों की पूर्ति करना है। वास्तव में वर्तमान औपचारिक शिक्षा जो चहारदीवारी के भीतर निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर, निश्चित व्यक्तियों द्वारा, निश्चित लोगों को प्रदान की जाती है यह आधुनिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी युग में सभी शिक्षार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। औपचारिकेतर शिक्षा अर्थात् मुक्त व दूरस्थ शिक्षा (ओडिएल) पद्धति उपरोक्त सीमाओं से परे अधिगम की स्वतन्त्र प्रक्रिया है। मुक्त व दूरस्थ शिक्षा पद्धति में शिक्षार्थियों के अध्ययन की स्वतन्त्रता को विषेश महत्व दिया जाता है। इस पद्धति में शिक्षार्थी बिना शिक्षक के ही सीखते हैं। यहाँ प्रभावी अनुदेशन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है।

संबन्धित साहित्य का अध्ययन

मुरलीमनोहर (2014) के अनुसार मुक्त व दूरस्थ शिक्षा (ओडिएल) को समाज के अनुरूप बनाने हेतु पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता है। इनके अध्ययन में पाया गया कि ओडिएल पद्धति के संस्थाओं द्वारा कार्यक्रमों के प्रस्तुतीकरण में बहुत अधिक विभिन्नता है। गोपालकृष्णन, (2013) ने अपने अध्ययन में गुणवत्ता शिक्षा पर जोर देते हुए स्पष्ट किया कि ओडिएल के पाठ्यक्रम प्रासंगिक होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों एवं देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रमों को संचालित किया जाना चाहिए। जैन, उपाध्याय एवं हंसर, (2011) द्वारा भारत के त्रिपुरा राज्य में कृषि क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा का अध्ययन किया गया। इनके द्वारा त्रिपुरा राज्य में ओडिएल पद्धति के कार्यक्रमों की उपलब्धता का अध्ययन किया गया। राजलक्ष्मी (1991) द्वारा किए गए शोध का उद्देश्य आंध्रप्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक स्तर की विषमताओं को दूर करने के प्रयास में आंध्रप्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय (वर्तमान नाम भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय) के योगदान का अध्ययन करना तथा यह पता करना कि आंध्रप्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा आंध्रप्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य में कहाँ तक सफल हुआ है? का अध्ययन किया गया। ओल्सेन, (2015) के शोध का उद्देश्य ई-लर्निंग की उपलब्धता का अध्ययन करना है। उपरोक्त अध्ययनों में शोधकर्ताओं द्वारा किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में ओडिएल पद्धति के कार्यक्रमों की उपलब्धता का अध्ययन किया गया। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रस्तुत अध्ययन हेतु शोधकर्ता द्वारा नवी मुंबई क्षेत्र का चयन तथा अध्ययन किया गया।

शोध की आवश्यकता तथा महत्व

वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का युग है। इस युग में उत्तरजीवित रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्यतन ज्ञान व कौशल अर्जित करना अत्याधिक आवश्यक हो गया है, परंतु आजकल व्यक्तियों के पास समय की कमी है और प्रतिस्पर्धा अत्याधिक है। ऐसी परिस्थिति में ओडिएल पद्धति, अद्यतन ज्ञान व कौशल अर्जित करने का एक उत्तम तथा उपयोगी माध्यम सिद्ध हो रहा है। ओडिएल पद्धति एक ऐसी शिक्षा पद्धति है, जो औपचारिक शिक्षा पद्धति में निहित बंधनों तथा नियमों से मुक्त है तथा जिसका लक्ष्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान तथा कौशल प्रदान करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ओडिएल पद्धति में विभिन्न उन्नत संचार माध्यमों तथा तकनीकों का प्रयोग किया जाता है तथा शिक्षार्थियों को अध्ययन की सुविधा एवं सहयोग भी प्रदान किया जाता है। इसलिए ओडिएल पद्धति द्वारा संचालित कार्यक्रमों की उपलब्धता का अध्ययन करना आवश्यक है।

शोध क्षेत्र का परिसीमन

1. प्रस्तुत अध्ययन केवल मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा (ओडिएल) पद्धति के कार्यक्रमों तक सीमित है, इसमें औपचारिक और गैर-औपचारिक शिक्षा पद्धति को सम्मिलित नहीं किया गया है।
2. प्रस्तुत अध्ययन में कार्यक्रमों की उपलब्धता के लिए महाराष्ट्र राज्य हेतु उपलब्ध ओडिएल पद्धति के समस्त कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेबसाइट तथा इग्नू क्षेत्रीय केंद्र-मुंबई के वेबसाइट में दिया गया है।

शोध का उद्देश्य

1. मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा (ओडिएल) के संस्थाओं की उपलब्धता का अध्ययन करना।
2. मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा (ओडिएल) के उपलब्ध संस्थाओं में विभिन्न कार्यक्रमों की उपस्थिति का अध्ययन करना।

शोध प्रश्न

1. शोध क्षेत्र हेतु कितने मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा (ओडिएल) की संस्थाएँ उपलब्ध हैं?
2. कितने प्रकार के कार्यक्रम मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा (ओडिएल) पद्धति में उपलब्ध हैं?

आँकड़ों का संग्रहण

प्रस्तुत अध्ययन में ओडिएल द्वारा संचालित कार्यक्रमों की उपलब्धता के संदर्भ में आवश्यक द्वितीयक आँकड़ों की जानकारी (2016–17) इग्नू क्षेत्रीय केंद्र-मुंबई के वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

साँचियकीय तकनीक

प्रस्तुत अध्ययन में आँकड़ों का विश्लेषण साधारण वर्णनात्मक साँचियकी जैसे आवृति तथा प्रतिशत के द्वारा किया गया है तथा प्राप्त जानकारियों का दण्ड आरेख के माध्यम से चित्र के रूप में प्रदर्शन किया गया है। बार-बार दोहराई जाने वाली घटना को आवृति कहते हैं। प्रतिशत किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। दण्ड आरेख अथवा बार चार्ट एक चित्र है, जिसके द्वारा एकल अथवा सामूहिक साँचियकीय आँकड़ों के मानों को आयताकार दण्डों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ प्रत्येक दण्ड की लंबाई उसके द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे मान के अनुपात में होती है।

आँकड़ों का विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्यों तथा शोध प्रश्नों के संदर्भ में संग्रहित द्वितीयक आँकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसके अंतर्गत शोध हेतु चयनित क्षेत्र हेतु वर्तमान में मुक्त व दूरस्थ शिक्षा पद्धति की कौन-कौन सी संस्थाएँ उपलब्ध हैं तथा इन संस्थाओं द्वारा कौन-कौन से शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इसका अध्ययन किया गया। चूंकि शोध हेतु चयनित क्षेत्र नवी मुंबई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसलिए उपरोक्त उद्देश्य के संदर्भ में महाराष्ट्र राज्य में उपलब्ध मुक्त व दूरस्थ शिक्षण संस्थानों से संबंधित आँकड़ों का संग्रहण तथा विश्लेषण किया गया। विश्लेषण को निम्न लिखित रूप में दर्शाया गया है—

मुक्त व दूरस्थ शिक्षा पद्धति (ओडिएल) के उपलब्ध संस्थाएँ तथा उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक कार्यक्रम


क्र.	मुक्त व दूरस्थ शिक्षा पद्धति के उपलब्ध संस्थाएँ	प्रस्तुत कार्यक्रमों की आवृत्ति	प्रस्तुत कार्यक्रमों का प्रतिशत
1	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक, (YCMOU)	102	28
2	सिम्बायोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग विश्वविद्यालय, पुणे, (SCDE)	20	5.5
3	एमआईटी स्कॉल फॉर डिस्टेंस एज्युकेशन विश्वविद्यालय, पुणे, (MITSDE)	17	4.7
4	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मटेसियल मैनेजमेंट, नवी मुंबई, (IIMM)	2	0.5
5	विलिंगकर इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मुंबई (WIMRD)	35	9.6
6	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली, (IGNOU)	72	19.8
7	एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई, (SNDT)	27	7.4
8	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई, (IIPS)	1	0.3
9	भारतीय विद्यापीठ, पुणे, (BVIU)	18	4.9
10	डॉ. जी. वाय. पाटील विश्वविद्यालय, पुणे, (DDYPU)	1	0.3
11	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा, (MGAU)	8	2.2
12	नरसीमुंजी इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज विश्वविद्यालय, मुंबई, (NIMS)	14	3.9
13	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर, (SU)	10	2.7
14	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय, नावेडा, (SRTMU)	14	3.8
15	टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई, (TISS)	2	0.5
16	युनिवर्सिटी ऑफ मुंबई (UoM)	21	5.8
	कुल	364	100.0

स्रोत: 1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो | 2. इग्नू क्षेत्रीय केंद्र-मुंबई प्रौढ़ शिक्षा

तालिका 1 की जानकारी (प्रतिशत) का दण्ड आरेख के रूप में प्रदर्शन निम्नानुसार है :


चित्र - 1

मुक्त व दूरस्थ शिक्षा (ओडिएल) पद्धति के उपलब्ध संस्थाएँ तथा उनके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों की आवृत्ति का दण्ड आरेख



मुक्त व दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक कार्यक्रमों के अनुसार आवृत्ति

तालिका 1 की जानकारी (प्रतिशत) का दण्ड आरेख के रूप में प्रदर्शन निम्नानुसार है



मुक्त व दूरस्थ पद्धति की उपलब्ध संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक कार्यक्रमों के अनुसार प्रतिशत

तालिका 1 के विवरणात्मक विश्लेषण को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया गया है –

उपरोक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि शोध हेतु चयनित क्षेत्र के निवासियों हेतु ओडिएल शिक्षा पद्धति के कुल 16 संस्थाएँ उपलब्ध हैं, जिसमें 14 राज्य एवं दो केन्द्रीय संस्थाएँ सम्मिलित हैं तथा इन संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत ओडिएल कार्यक्रमों की कुल संख्या 364 है। इन संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत ओडिएल कार्यक्रमों की आवृत्ति तथा प्रतिशत इस प्रकार है—

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा 102 अर्थात् कुल कार्यक्रमों का 28 प्रतिशत, सिम्बायोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग विश्वविद्यालय पुणे द्वारा 20 अर्थात् कुल कार्यक्रमों का 5.5 प्रतिशत, एमआईटी स्कूल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन विश्वविद्यालय पुणे द्वारा 17 अर्थात् कुल ओडिएल कार्यक्रमों का 4.7 प्रतिशत, इन्डियन इंस्टिट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट नवी मुंबई (IIMM) द्वारा 2 अर्थात् कुल ओडिएल कार्यक्रमों का 0.5 प्रतिशत, वेलिंगकर इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मुंबई द्वारा 35 अर्थात् कुल ओडिएल कार्यक्रमों का 9.6 प्रतिशत, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा 72 अर्थात् कुल ओडिएल कार्यक्रमों का 19.8 प्रतिशत, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय मुंबई द्वारा 27 अर्थात् कुल ओडिएल कार्यक्रमों का 7.4 प्रतिशत, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई द्वारा 1 अर्थात् कुल कार्यक्रमों का 0.3 प्रतिशत, भारती विद्यापीठ पुणे द्वारा 18 अर्थात् कुल ओडिएल कार्यक्रमों का 4.9 प्रतिशत, डॉ. डी.वाय. पाटिल विश्वविद्यालय पुणे द्वारा 1 अर्थात् कुल कार्यक्रमों का 0.3 प्रतिशत, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा 8 अर्थात् कुल ओडिएल कार्यक्रमों का 2.2 प्रतिशत, शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर द्वारा 10 अर्थात् कुल कार्यक्रमों का 2.7 प्रतिशत, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा 14 अर्थात् कुल ओडिएल कार्यक्रमों का 3.9 प्रतिशत, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई द्वारा 2 अर्थात् कुल कार्यक्रमों का 0.5 प्रतिशत तथा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई द्वारा 21 अर्थात् कुल ओडिएल कार्यक्रमों का 5.8 प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

अतः यह पाया गया कि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय में सर्वाधिक 102 (कुल कार्यक्रमों का 28 प्रतिशत) कार्यक्रम उपलब्ध हैं तथा इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली (इग्नू— क्षेत्रीय केंद्र) में 72 (कुल कार्यक्रमों का 19.8 प्रतिशत) कार्यक्रम उपलब्ध हैं। डॉ. डी.वाय. पाटिल विश्वविद्यालय पुणे तथा अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई में सबसे कम केवल 1 (कुल कार्यक्रमों का केवल 0.3 प्रतिशत) ओडिएल कार्यक्रम उपलब्ध है। अतः मुक्त व दूरस्थ शिक्षा पद्धति के संस्थाओं द्वारा कार्यक्रमों के प्रस्तुतीकरण में बहुत अधिक विभिन्नता पाई गई। इसी के समान प्राप्ति मुरलीमनोहर (2014) द्वारा किए गए अध्ययन में भी पाया गया।

मुक्त व दूरस्थ शिक्षा (ओडिएल) पद्धति के उपलब्ध संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जा रहे शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रकार

तालिका – 2

ओडिएल पद्धति के उपलब्ध संस्थाएँ तथा उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रकार की आवृत्ति तथा प्रतिशत

कोष्टक () में प्रतिशत को दर्शाया गया है ।

तालिका— 2 की जानकारी का दण्ड आरेख के रूप में प्रदर्शन निम्नानुसार है

क्रमांक	ओडिएल संस्थाएं	कार्यक्रमों के प्रकार				
		प्रमाणपत्र	डिप्लोमा	स्नातक	स्नातकोत्तर	कुल
1	YCMOU	31(30.4)	27 (26.5)	17 (16.6)	27 (26.5)	102
2	SCDE	3(15.0)	17 (85.0)	0	0	20
3	MTSDE	0	17(100.0)	0	0	17
4	IIMM	0	2(100.0)	0	0	2
5	WIMRD	6(17.1)	29 (82.9)	0	0	35
6	IGNOU	17(23.6)	9 (12.5)	9 (12.5)	37 (51.4)	72
7	SNDT	3(11.1)	3 (11.1)	10 (37.1)	11 (40.7)	27
8	IIPS	0	0	0	1 (100.0)	1
9	BVU	0	3 (16.7)	6 (33.3)	9(50.0)	18
10	DDYPU	0	0	0	1(100.0)	1
11	MGAV	0	2(25.0)	2(25.0)	4 (50.0)	8
12	NIMS	0	14 (100.0)	0	0	14
13	SU	0	1(10)	3(30)	6(60)	10
14	SRTMU	0	0	3(21.4)	11(78.6)	14
15	TISS	0	1(50.0)	0	1(50.0)	2
16	UoM	0	2(9.5)	4(19.1)	15 (71.4)	21
	कुल	60(16.5)	127(34.9)	54(14.8)	123(33.8)	364


मुक्त व दूरस्थ शिक्षा (ओडिएल) पद्धति के संस्थाएँ तथा उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रकार की आवृत्ति का दण्ड आरेख

ओडिएल पद्धति की संस्थाएँ तथा उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रकार आवृत्ति अनुसार

तालिका – 2 के विवरणात्मक विश्लेषण को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया गया है

उपलब्ध संस्थाएँ तथा उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रकार

■ प्रमाणपत्र ■ डिप्लोमा ■ स्नातक ■ स्नातकोत्तर



1. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय में उपलब्ध ओडिएल कार्यक्रम

तालिका क्र. 2 से यह ज्ञात होता है कि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय जो एक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय है, में सर्वाधिक 102 कार्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें 31 प्रमाणपत्र, 27 डिप्लोमा, 17 स्नातक तथा 27 स्नातकोत्तर कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इनमें प्रमाणपत्र के कार्यक्रमों का प्रतिशत सर्वाधिक 30.4 प्रतिशत है, इसके बाद डिप्लोमा तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का समान प्रतिशत 26.5 प्रतिशत है, जो शोध क्षेत्र हेतु उपलब्ध समस्त ओडिएल शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध कुल कार्यक्रमों का 30 प्रतिशत है। प्रस्तुत शोध में यह पाया गया कि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय के 9 स्कूलों सतत शिक्षा विद्यालय, शिक्षा का स्कूल, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन का स्कूल, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान के स्कूल, कृषि का स्कूल, स्वास्थ्य विज्ञान का स्कूल, विज्ञान विद्यालय, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी का स्कूल तथा वास्तुशिल्प, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का स्कूल के अंतर्गत कार्यक्रमों की उपलब्धता पाई गई। इनमें कंप्यूटर और सूचना विज्ञान के स्कूल के अंतर्गत सर्वाधिक 29.4 प्रतिशत कार्यक्रम उपलब्ध हैं। इसके बाद सतत शिक्षा विद्यालय एवं विज्ञान विद्यालय के अंतर्गत क्रमशः 23.5 प्रतिशत तथा 12.7 प्रतिशत कार्यक्रम उपलब्ध हैं।

2. भारती विद्यापीठ पुणे में उपलब्ध ओडिएल कार्यक्रम

भारती विद्यापीठ जो एक मानित विश्वविद्यालय है, के सन्दर्भ में उपरोक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि इसके द्वारा ओडिएल के माध्यम से कुल 18 कार्यक्रमों को प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इनमें 3 डिप्लोमा, 6 स्नातक तथा 9 स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम सम्मिलित हैं तथा इन कार्यक्रमों में स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों का प्रतिशत सर्वाधिक पाया गया। भारती विद्यापीठ के द्वारा कुल 6 विषयों वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन, पर्यटन एवं आतिथ्य सेवा

प्रबंधन, विधि, मानविकी, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान विभाग के अंतर्गत कार्यक्रमों की उपलब्धता पाई गई। इनमें वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन के अंतर्गत सर्वाधिक 33.3 प्रतिशत कार्यक्रम उपलब्ध हैं। सामाजिक विज्ञान एवं विधि के अंतर्गत क्रमशः 27.8 प्रतिशत तथा 16.7 प्रतिशत कार्यक्रम उपलब्ध हैं।

3. डॉ. डी.वाय. पाटिल विश्वविद्यालय में उपलब्ध ओडिएल कार्यक्रम

उपरोक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि डॉ. डी.वाय. पाटिल विश्वविद्यालय जो एक मानित विश्वविद्यालय है, के द्वारा मुक्त व दूरस्थ पद्धति के माध्यम से केवल एक ही कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कार्यक्रम स्नातकोत्तर स्तर का है जो वाणिज्य और प्रबंधन अध्ययन विषय के अंतर्गत उपलब्ध है।

4. महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में उपलब्ध ओडिएल कार्यक्रम

महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, के संदर्भ में उपरोक्त तालिका द्वारा यह ज्ञात होता है कि, इसके द्वारा कुल 8 ओडिएल कार्यक्रमों को प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिनमें 2 डिप्लोमा, 2 स्नातक तथा 4 स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा वाणिज्य एवं प्रबंधन, सामाजिक कार्य, जर्नलिज्म एवं न्यू मीडिया स्टडीज तथा सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषयों के अंतर्गत कार्यक्रमों को प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनमें वाणिज्य एवं प्रबंधन के अंतर्गत सर्वाधिक 50 प्रतिशत कार्यक्रम उपलब्ध हैं, इसके बाद सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 25 प्रतिशत कार्यक्रम उपलब्ध हैं।

5. नरसीमुंजी इंस्टिट्यूट ऑफ ऐनेजमेंट स्टडीज जो एक मानित विश्वविद्यालय है, में उपलब्ध ओडिएल कार्यक्रम के संदर्भ में उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि, इसके द्वारा मुक्त व दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से कुल 14 कार्यक्रमों को प्रस्तुत किये जा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम डिप्लोमा स्तर के हैं, जो वाणिज्य एवं प्रबंधन विषय से संबंधित हैं।

6. शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर में उपलब्ध ओडिएल कार्यक्रम

शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर जो एक राज्य विश्वविद्यालय है, इसके कार्यक्रमों के संदर्भ में उपरोक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि इसके द्वारा कुल 10 ओडिएल कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिनमें एक डिप्लोमा, तीन स्नातक तथा छः स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इस संस्था के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य एवं प्रबंधन, विज्ञान तथा ट्रांसलेशन स्टडीज और ट्रेनिंग विषयों से संबंधित हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कुल चार, वाणिज्य एवं प्रबंधन के अंतर्गत कुल चार, विज्ञान के अंतर्गत केवल एक तथा ट्रांसलेशन स्टडीज एवं ट्रेनिंग के अंतर्गत भी केवल एक कार्यक्रम उपलब्ध हैं।

7. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय नांदेड में उपलब्ध ओडिएल कार्यक्रम

उपरोक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय नांदेड जो एक राज्य विश्वविद्यालय है, के द्वारा कुल 14 ओडिएल कार्यक्रमों को प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिनमें तीन स्नातक तथा ग्यारह स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। यह कार्यक्रम विज्ञान, मानविकी तथा वाणिज्य एवं प्रबंधन कुल विषयों से संबंधित हैं। विज्ञान के अंतर्गत कुल सात, मानविकी के अंतर्गत कुल पांच तथा वाणिज्य एवं प्रबंधन के अंतर्गत दो कार्यक्रम उपलब्ध हैं।

8. टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई में उपलब्ध ओडिएल कार्यक्रम

टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई जो एक मानित विश्वविद्यालय है, के द्वारा मुक्त व दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रस्तुत कार्यक्रमों के संदर्भ में उपरोक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि इसके द्वारा कुल 2 कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें एक डिप्लोमा तथा एक स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस के यह कार्यक्रम शिक्षा तथा सामाजिक विज्ञान विषयों से संबंधित हैं जिनमें एक—एक कार्यक्रम उपलब्ध है।

9. यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में उपलब्ध ओडिएल कार्यक्रम

उपरोक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जो एक राज्य विश्वविद्यालय है, के द्वारा मुक्त व दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से कुल 21 कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में दो डिप्लोमा, चार स्नातक तथा पन्द्रह स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। ये कार्यक्रम विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन, मानविकी तथा अंतर्विषयक अध्ययन कुल चार विषय विभागों से संबंधित हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत छः, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन विभाग के अंतर्गत चार, मानविकी विभाग के अंतर्गत दस तथा अंतर्विषयक अध्ययन विभाग के अंतर्गत एक कार्यक्रम उपलब्ध हैं।

10. सिम्बायोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग विश्वविद्यालय में उपलब्ध ओडिएल कार्यक्रम

सिम्बायोसिस सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग विश्वविद्यालय जो एक निजी संस्थान है, के सन्दर्भ में उपरोक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि इसके द्वारा मुक्त व दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से कुल 20 कार्यक्रमों को प्रस्तुत किये जा रहे हैं। इनमें तीन प्रमाण—पत्र तथा सत्रह डिप्लोमा कार्यक्रम सम्मिलित हैं। यह कार्यक्रम मानविकी, शिक्षा, विधि, वाणिज्य एवं प्रबंधन तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कुल पांच विषयों से संबंधित हैं। जिनमें मानविकी के अंतर्गत दो कार्यक्रम, शिक्षा के अंतर्गत दो कार्यक्रम, विधि के अंतर्गत दो

कार्यक्रम, वाणिज्य एवं प्रबंधन के अंतर्गत बारह कार्यक्रम तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर्गत दो कार्यक्रम उपलब्ध हैं।

11. एमआईटी स्कूल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन विश्वविद्यालय में उपलब्ध ओडिएल कार्यक्रम

उपरोक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि एमआईटी स्कूल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन विश्वविद्यालय जो एक निजी संस्थान है, के द्वारा मुक्त व दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से कुल 17 कार्यक्रम प्रस्तुत किये जा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम डिप्लोमा स्तर के हैं। ये कार्यक्रम वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन, पर्यटन और आतिथ्य सेवा प्रबंधन, विधि, मानविकी, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान कुल 7: विषयों से संबंधित हैं, जिसमें वाणिज्य एवं प्रबंधन के अंतर्गत 7: कार्यक्रम, पर्यटन और आतिथ्य सेवा प्रबंधन के अंतर्गत एक कार्यक्रम, विधि के अंतर्गत तीन कार्यक्रम, मानविकी के अंतर्गत एक कार्यक्रम, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान के अंतर्गत दो कार्यक्रम तथा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पांच कार्यक्रम उपलब्ध हैं।

12. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट नवी मुंबई में उपलब्ध ओडिएल कार्यक्रम

मुक्त व दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रमों की उपलब्धता के संदर्भ में उपरोक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट नवी मुंबई जो एक निजी संस्थान है, के द्वारा मुक्त व दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से कुल 2 कार्यक्रम प्रस्तुत किये जा रहे हैं। ये दोनों ही कार्यक्रम डिप्लोमा स्तर के हैं एवं दोनों ही वाणिज्य और प्रबंधन अध्ययन से संबंधित हैं।

13. वेलिंगकर इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मुंबई में उपलब्ध ओडिएल कार्यक्रम

उपरोक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि वेलिंगकर इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मुंबई जो एक निजी संस्थान है, के द्वारा मुक्त व दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से कुल 35 कार्यक्रम प्रस्तुत किये जा रहे हैं। इनमें 7: कार्यक्रम प्रमाण—पत्र स्तर के तथा उनतीस कार्यक्रम डिप्लोमा स्तर के हैं। ये कार्यक्रम वाणिज्य एवं प्रबंधन, जर्नलिज्म और न्यू मीडिया स्टडीज, कृषि, पर्यटन और आतिथ्य सेवा प्रबंधन, स्वास्थ्य विज्ञान तथा कंप्यूटर और सूचना विज्ञान कुल 7: विषयों से संबंधित हैं, इनमें वाणिज्य एवं प्रबंधन में सत्ताईस कार्यक्रम, जर्नलिज्म और न्यू मीडिया स्टडीज में दो कार्यक्रम, कृषि में एक कार्यक्रम, पर्यटन और आतिथ्य सेवा प्रबंधन में दो कार्यक्रम, स्वास्थ्य विज्ञान में एक तथा कंप्यूटर और सूचना विज्ञान में दो कार्यक्रम उपलब्ध हैं।

14. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई में उपलब्ध ओडिएल कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई जो एक मानित विश्वविद्यालय है, में मुक्त व दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रमों की उपलब्धता के संदर्भ में उपरोक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि इसके द्वारा मुक्त व दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से केवल एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, जो स्नातकोत्तर का है तथा जनसंख्या अध्ययन से संबंधित है।

15. एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय मुंबई में उपलब्ध ओडिएल कार्यक्रम

एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय मुंबई जो एक राज्य विश्वविद्यालय है, के द्वारा मुक्त व दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से कुल 27 कार्यक्रमों को प्रस्तुत किये जा रहे हैं, यह उपरोक्त तालिका से यह प्रदर्शित होता है, इनमें तीन कार्यक्रम प्रमाण—पत्र स्तर के, तीन कार्यक्रम डिप्लोमा स्तर के, दस कार्यक्रम स्नातक स्तर के तथा ग्यारह कार्यक्रम स्नातकोत्तर स्तर के सम्मिलित हैं। ये सभी कार्यक्रम सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य एवं प्रबंधन, शिक्षा, सतत शिक्षा तथा जेंडर एवं डेवलपमेंट स्टडीज कुल छः विषयों से संबंधित हैं, इसमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आठ कार्यक्रम, मानविकी के अंतर्गत आठ कार्यक्रम, वाणिज्य एवं प्रबंधन के अंतर्गत पांच कार्यक्रम, शिक्षा विषय के अंतर्गत तीन कार्यक्रम, सतत शिक्षा के अंतर्गत दो कार्यक्रम व जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज के अंतर्गत एक कार्यक्रम उपलब्ध हैं।

16. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली में उपलब्ध कार्यक्रम

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली जो एक केन्द्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, के संदर्भ में उपरोक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि इसके क्षेत्रीय केंद्र मुंबई में कुल 72 कार्यक्रमों की उपलब्धता पाई गई, जिनमें सत्रह कार्यक्रम प्रमाण—पत्र स्तर के, नौ कार्यक्रम डिप्लोमा स्तर के, नौ कार्यक्रम स्नातक स्तर के व सैंतीस कार्यक्रम स्नातकोत्तर स्तर के सम्मिलित हैं। यह कार्यक्रम कुल सत्रह अध्ययन स्कूलों सामाजिक विज्ञान का स्कूल, मानविकी का स्कूल, सतत शिक्षा का स्कूल, शिक्षा का स्कूल, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन का स्कूल, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, पर्यटन और आतिथ्य सेवा प्रबंधन का स्कूल, ट्रांसलेशन स्टडीज और ट्रेनिंग का स्कूल, स्कूल ऑफ एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म और न्यू मीडिया स्टडीज, सामाजिक कार्य का स्कूल, विधि का स्कूल, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान का स्कूल, कृषि का स्कूल तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी का स्कूल से संबंधित हैं। इनमें सामाजिक विज्ञान के स्कूल के अंतर्गत तेरह कार्यक्रम, मानविकी के स्कूल के अंतर्गत पांच कार्यक्रम, सतत शिक्षा के स्कूल के अंतर्गत नौ कार्यक्रम, शिक्षा के स्कूल के अंतर्गत सात कार्यक्रम, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन के स्कूल के अंतर्गत दस कार्यक्रम, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के अंतर्गत एक कार्यक्रम, पर्यटन और आतिथ्य सेवा प्रबंधन के स्कूल के अंतर्गत चार कार्यक्रम, ट्रांसलेशन स्टडीज और ट्रेनिंग के स्कूल के अंतर्गत एक कार्यक्रम, स्कूल ऑफ एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज के अंतर्गत एक कार्यक्रम, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म और न्यू मीडिया स्टडीज के अंतर्गत चार कार्यक्रम, सामाजिक कार्य के स्कूल के अंतर्गत तीन कार्यक्रम, विधि के स्कूल के अंतर्गत

एक कार्यक्रम, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान के स्कूल के तीन कार्यक्रम, कृषि के स्कूल के अंतर्गत एक कार्यक्रम, स्वास्थ्य विज्ञान के स्कूल के अंतर्गत छः कार्यक्रम, विज्ञान विद्यालय के अंतर्गत दो कार्यक्रम तथा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के स्कूल के अंतर्गत एक कार्यक्रम उपलब्ध हैं।

निष्कर्ष

मुक्त व दूरस्थ शिक्षा पद्धति (ओडिएल) की संस्थाओं एवं कार्यक्रमों की उपलब्धता के सन्दर्भ में यह पाया गया कि चयनित शोध क्षेत्र हेतु शिक्षा ग्रहण करने के लिए ओडिएल की कुल 16 संस्थाएँ उपलब्ध हैं। ओडिएल के उपलब्ध इन संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत कुल शैक्षिक कार्यक्रमों की संख्या 364 है। यह पाया गया कि शोध क्षेत्र में सर्वाधिक 34.9 प्रतिशत डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम पाए गए, इसके बाद 33.8 प्रतिशत कार्यक्रम स्नातकोत्तर स्तर के तथा प्रमाण पत्र 16.5 प्रतिशत पाए गए, वहीं स्नातक स्तर के कार्यक्रम सबसे कम केवल 14.8 प्रतिशत पाए गए। शोध क्षेत्र के सन्दर्भ में उपलब्ध समस्त ओडिएल संस्थाओं के कुल कार्यक्रमों का केवल 24.5 प्रतिशत कार्यक्रम पारम्परिक पाठ्यक्रम युक्त हैं तथा सर्वाधिक 75.5 प्रतिशत कार्यक्रम व्यवसायिक पाठ्यक्रम युक्त पाए गए। उपलब्ध कुल कार्यक्रमों को विभिन्न विषयों के अनुसार विभाजित करने पर यह पाया गया कि सर्वाधिक कार्यक्रम वाणिज्य और प्रबंधन विषय के हैं। पारम्परिक पाठ्यक्रमों की उपलब्धता में कमी इसकी उपयोगिता की कमी को प्रदर्शित करता है, अतः पारम्परिक पाठ्यक्रमों की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए इन पाठ्यक्रमों को व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के साथ परस्पर संबद्ध किया जाना चाहिए। जैसे-विज्ञान से संबंधित पारम्परिक पाठ्यक्रमों को समाज कार्य तथा अन्य जनकल्याण संबंधी पाठ्यक्रम के साथ जोड़कर लाभकारी बनाया जा सकता है। समाजिक विज्ञान से संबंधित पारम्परिक पाठ्यक्रमों को पत्रकारिता के पाठ्यक्रम के साथ जोड़कर लाभकारी बनाया जा सकता है, चूँकि पत्रकारिता में किसी घटना के सामाजिक पहलुओं पर चर्चा आदि का संबंध होता है इसलिए इससे दो पाठ्यक्रमों का साथ में अध्ययन किया जा सकेगा इससे दोनों पाठ्यक्रमों का महत्व समान हो सकेगा। इतिहास को समकालीन अध्ययन के साथ जोड़ने पर यह अधिक रोचक तथा रोजगारपरक हो सकता है साथ ही पारम्परिक पाठ्यक्रमों में वर्तमान परिप्रेक्ष्य के तथ्यों तथा समस्याओं एवं इनके समाधान के उपायों को सम्मिलित कर प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

संदर्भ

1. गोपालकृष्णन, एम. (2013). मुक्त व दूरस्थ शिक्षार्थियों (ओडीएल) के लिए एक उपभोक्ता संतोष इंडेक्स (सीएसआई)।
- 2- <http://shodhganga.inflibnet.ac.in:8080/jspui/handle/10603/137719> से पुनःप्राप्त।

-
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, (2009).ईएस—364 दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा का विकास। ISBN : 81—7605—774—6
 4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, (2009).ईएस—364 दूरस्थ शिक्षा में कार्यक्रम मूल्यांकन। ISBN : 81—7605—884— X
 5. जैन, पी.के., उपाध्याय, एस. एवं हंसर, बी.एस. (2011). कृषि में मुक्त व दूरस्थ अध्ययन : त्रिपुरा (भारत) के किसानों के मत पर एक अध्ययन। इंडियन जर्नल ऑफ ओपन लर्निंग, 2011, 20 (3), (पृष्ठ क्र.217—228), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, भारत में मुद्रित।
 6. मुरलीमनोहर, के. (2014). मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में सुधार। इंडियन डिस्टेंस एजुकेशन एसोसिएशन (IDEA), प्रकाशन नंबर— 24, वारंगल।
 7. ओल्सेन, ए. (2015). ई दृ लर्निंग इन एशिया: मांग तथा पूर्ति।
 - 8— <https://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ihe/article/viewFile/7352/6549> से पुनर्प्राप्त।
 9. राजलक्ष्मी, एल. (1991). विकास के लिए दूरस्थ शिक्षा पर एक अध्ययन। मुक्त व दूरस्थ शिक्षा अनुसंधान : विश्लेषण और व्याख्या, (पृ.क्र.16 & 17), भारत दूरस्थ शिक्षा संघ, (IDEA) 1996।
 10. शर्मा, आर.के. एवं दुबे एस. (2008).दूरस्थ शिक्षा (द्वितीय संपादन) आगरा, राधा प्रकाशन मंडल।

वेबसाइट्स

1. <http://www.ugc.ac.in/deb/pdf/Recognition%20for%202016-17-%20DEB.pdf>
2. <http://rcmumbai.ignou.ac.in/>
3. <http://www.navimumbai.com/nodes.aspx>
4. [http://cidco.maharashtra.gov.in/Report for sale.aspx](http://cidco.maharashtra.gov.in/Report_for_sale.aspx)

साक्षर भारत की उपलब्धियाँ

रचना सिंद्धा

प्रौढ़ एवं आजीवन शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य की दिशा रेखांकित करने वाले हैम्बर्ग घोषणा पत्र में कहा गया था कि प्रौढ़ शिक्षा मानवाधिकार से कहीं ज्यादा है। यह इकीसवीं शताब्दी के प्रवेश द्वार के ताले की चाबी है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी दुनिया के हर एक व्यक्ति को यह चाबी नहीं मिल पाई है और इनमें से अधिकतर महिलाएं हैं। आजादी के 70 साल बाद भी देश की आधी आबादी मानी जाने वाली महिलाओं में से लगभग 40 प्रतिशत इस चाबी से वंचित हैं। हालांकि इसी तरह के आंकड़ों को आधार बनाकर सन् 2009 में साक्षर भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और यह लक्ष्य रखा गया था कि वर्ष 2015 तक हम साक्षरता की दर 80 प्रतिशत तथा महिला और पुरुष साक्षरता के बीच अन्तराल को 10 प्रतिशत तक लाने की कोशिश की जाएगी। इस हेतु देश के उन सभी जिलों को चिह्नित किया गया जहां प्रौढ़ महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत से भी नीचे थी। ज्ञात है कि राजस्थान के कुल 33 में से 32 जिले इस वर्ग में शामिल थे। एक मात्र कोटा ऐसा जिला था जहां की महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत से कुछ ही ऊपर थी।

उस समय का यह आंकड़ा इस बात की ओर इशारा करता था कि हम साक्षरता को लेकर कभी गंभीर हुए ही नहीं। यह हमारी प्राथमिकता की सूची में कभी रहा ही नहीं। खासकर महिलाओं के लिए तो कभी नहीं। और न ही हमने इसे जुंबिश बनाने की कभी पहल की। पहल की भी तो बिना किसी पूर्व तैयारी के और इसका वही हश्श हुआ जो होना चाहिए था। परंतु 90 के दशक को देखें तो साक्षरता और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बदलाव नजर आया। साक्षरता और शिक्षा के क्षेत्र में देश की फिजां कुछ बेहतर होने लगी। और इसीलिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य को लेकर साक्षर भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

सन् 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद साक्षरता का जो देशव्यापी कार्यक्रम शुरु हुआ उसने लोगों को कितना अक्षर ज्ञान दिया यह बहस का अलग मुद्दा हो सकता है पर इस कार्यक्रम ने लोगों को साक्षरता और शिक्षा के प्रति चैतन्य और जागरूक बनाया इसमें कोई मतभेद नहीं है। अब लोगों को यह समझ में आ गया था कि साक्षरता और शिक्षा केवल नौकरी पाने का जरिया नहीं है बल्कि यह व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने की दिशा भी देती है।

हैम्बर्ग घोषणा पत्र में भी कहा गया है कि साक्षरता जागरूक नागरिकता का परिणाम तो है ही साथ ही समाज में पूरी भागीदारी की आवश्यक शर्त भी। यह व्यक्तित्व को गढ़ती है और जीवन को एक मायने प्रदान करती है। जीवनपर्यात शिक्षा मनुष्य को अपने पुराने

विचारों, संस्कारों, रुद्धियों और मान्यताओं के बारे में सोच के लिए दिशा देती है और उन्हें बदलने की ताकत भी।

आज का हर नागरिक अपने जीवन की बेहतरी चाहता है। वह निरक्षर कहलाना अपना अपमान समझता है। साक्षरता के इस देशव्यापी कार्यक्रम का यह परिणाम हुआ कि आज हर व्यक्ति अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तत्पर है। परिस्थितियां कितना उसका साथ देती हैं यह दीगर बात है। हालांकि परिस्थितियां अब पहले जैसी नहीं रहीं। अब लोगों में सीखने की चाह पैदा हो गई है। वे यह समझने लगे हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। किसी भी उम्र में कुछ भी सीखा जा सकता है।

यह सोच साक्षर भारत कार्यक्रम के दौरान खूब देखने को मिली। कई ऐसी सफल कहानियों से रुबरु होने का अवसर मिला जो कार्यक्रम की सफलता की ओर इंगित करती हैं। यह और बात है कि अचानक इस कार्यक्रम को बंद कर दिया गया और जो विश्वास लोगों का इस कार्यक्रम के प्रति बन गया था उस विश्वास को गहरा धक्का लगा और जो महिलाएं अपनी शिक्षा को समतुल्य शिक्षा के जरिए आगे तक ले जाना चाह रही थीं वे अब अपने आपको ठगा सा महसूस करने लगीं। आज जब वो कार्यक्रम से जुड़े लोगों से सवाल करती हैं तो वे भी सवाल से कतरा कर निकल जाते हैं क्योंकि सच्चाई तो यह है कि उन्हें भी इस बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं है। बहरहाल इस दौरान सफलता की कई ऐसी कहानियां उभरकर सामने आईं जिनके माध्यम से इस कार्यक्रम के प्रति लोगों की आशा को दखा जा सकता है –

बचत राशि बैंक में जमा करती हूं – पिस्ता देवी

पिस्ता देवी सवाई माधोपुर जिले के गांव बड़ौली की रहने वाली हैं। इनके परिवार में इनके पति हंसराज मीना, दो पुत्र तथा दो पुत्री हैं। इनके तीन बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। इनके पति भी पढ़े लिखे हैं। परंतु 2012 से पहले श्रीमती पिस्ता को पढ़ना –लिखना नहीं आता था।

पहले पढ़ना–लिखना क्यों नहीं सीखा, पूछने पर वे बताती हैं कि पीहर में शिक्षा का कोई माहौल ही नहीं था। घर में पुरुष ही थोड़े पढ़े लिखे थे। बाकी महिलाएं सभी अगूंठा छाप थीं। आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। थोड़ी सी खेती थी उसी में पूरा परिवार लगा रहता था। मैं भी।

यह पूछने पर कि कभी पढ़ने का मन नहीं किया? श्रीमती पिस्ता कहती हैं कि नहीं, कभी लगा ही नहीं कि हमें भी पढ़ना चाहिए। और पढ़ने लिखने के क्या फायदे हैं यह बताने वाला भी कोई नहीं था। तो ऐसे में जैसे चल रहा था ठीक ही था। इसी अवस्था में पिस्ता देवी की

शादी बड़ौली के हंसराज से हो गई। ससुराल में शैक्षिक पृष्ठभूमि कोई खास अच्छी नहीं थी। यहां भी महिलाओं की शिक्षा को लेकर जागरूकता का अभाव था। ऐसे में यहां भी पढ़ने—लिखने से कोई सरोकार नहीं रहा।

वर्ष 2010 में जब साक्षर भारत का सर्वे हुआ तब पिस्ता देवी का नाम भी असाक्षरों की सूची में जुड़ा। कार्यक्रम शुरू होने के बाद प्रेरकों ने पिस्ता से संपर्क किया। उन्हें समझाया और पढ़ने—लिखने के फायदे बताए। पिस्ता ने भी सोचा कि नुकसान तो कोई है नहीं और न ही कोई पैसे लगने वाले हैं, तो क्यों न पढ़कर देखा जाए। और इस तरह पिस्ता ने पढ़ना शुरू किया। उसने अपने पठन—पाठन का कार्य समाप्त कर 26 अगस्त 2012 को होने वाली साक्षरता जांच परीक्षा के लिए नामांकन कराया। उसने परीक्षा दी और वह उत्तीर्ण हो गई।

यह पूछने पर कि पढ़ने से किसी ने रोका तो नहीं, पिस्ता कहती हैं – नहीं। रोका तो किसी ने नहीं क्योंकि किसी को इससे नुकसान नहीं था। हां मुझे जरूर ज्ञिज्ञक हो रही थी इस उम्र में पढ़ना—लिखना सीखने पर। लेकिन मेरे बच्चों ने मेरी मदद की। अगर मैं कहीं अटक जाती या कोई चीज मुझे नहीं आती तो वे मुझे बताते थे। आज मैं कभी—कभी मेरे छोटे बेटे को मदद करती हूं।

मैंने परीक्षा पास करने के बाद दो भैंस खरीदी। अब उनका दूध बेचती हूं। दूध का सारा हिसाब—किताब मैं खुद ही रखती हूं। मैं रोज आठ लीटर दूध बेचती हूं। इससे मुझे प्रतिदिन 240 रुपये की आमदनी होती है। मैं दैनिक खर्च का भी हिसाब रखती हूं। पिस्ता बताती है – जिंदगी में बचत करना बहुत जरूरी है। पता नहीं कब क्या मुसीबत आ जाये। इसलिए मैं बचत भी करती हूं और बचत के पैसे बैंक में जमा करती हूं।

मुझे प्रेरक ने बताया कि इस कार्यक्रम में तीसरी, पांचवीं और आठवीं की भी पढ़ाई होगी। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूं।

कुटीर उद्योग लगाने की इच्छा रखती हूं – बच्ची देवी

बच्ची देवी की उम्र 28 साल है। वे सवाई माधोपुर जिले के बूचौलाई गांव में अपने परिवार के साथ रहती हैं। पति और बच्चों के अलावा सास और ससुर भी इनके साथ रहते हैं। बच्ची देवी को तीन लड़कियां और एक लड़का है।

बच्ची देवी का पीहर भी सवाई माधोपुर जिले में ही है। आठ भाई बहनों में चौथे नंबर की बच्ची देवी बताती हैं कि हमारा बहुत बड़ा परिवार था। इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए मेरे माता—पिता हमें पढ़ा लिखा नहीं सकते थे। मेरा परिवार मजदूरी और खेती का काम

करता था। हम बहनें घरेलू और खेती के काम में माता-पिता की मदद करते थे। घर में पढ़ाई-लिखाई का माहौल बिलकुल भी नहीं था सो हम पढ़-लिख नहीं पाए।

बच्ची देवी की शादी 19 साल में मोहन सिंह गुर्जर के साथ हो गई। इनके ससुराल में लोग पढ़े-लिखे थे और पढ़ाई का महत्व जानते थे। मेरे पति मुझ पढ़ाना चाहते थे पर मुझे ज़िंडगी की ज़िन्दगी थी। कोई साधन भी नहीं था। उस उम्र में स्कूल तो मैं जा नहीं सकती थी। कुछ साल ऐसे ही निकल गए। 2010 में हमारे ग्राम पंचायत में एक सर्वे हुआ जिसमें असाक्षर लोगों का नाम लिखा जा रहा था। मेरे घर से सिर्फ मेरा नाम लिखा गया क्योंकि बाकी सब पढ़ना-लिखना जानते थे मुझे तब बड़ी शर्म आई। मैंने फिर इनसे बात की।

कुछ ही दिनों के बाद पता चला कि ग्राम पंचायत पर लोक शिक्षा केंद्र खुला है। उसके प्रेरक घर-घर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। वे मेरे घर भी आए। मुझे भी पढ़ाई का महत्व समझाया। पढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रेरक ने बताया कि मुझे पढ़ाने के लिए वॉलनेट्री टीचर की व्यवस्था की गई है। पति की प्रेरणा तो थी ही, प्रेरक की प्रेरणा भी मिल गई और मैं पढ़ने के लिए तैयार थी।

बच्ची देवी के पति समझदार इन्सान हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को न केवल पढ़ने के लिए प्रेरित किया बल्कि उनका सहयोग भी करते रहे। अब बच्ची देवी न केवल पढ़-लिख लेती हैं बल्कि छोटा-मोटा हिसाब-किताब भी कर लेती हैं। वे लोक शिक्षा केंद्र की पुस्तकों के साथ-साथ अपने बच्चे की पुस्तक भी पढ़ लेती हैं। उन्हें अखबार पढ़ना अच्छा लगता है। उन्होंने डेयरी का व्यवसाय शुरू किया है। दूध बेचती हैं। अपनी आय को डाकघर में जमा करती हैं।

बच्ची देवी ने 18 मार्च 2012 को साक्षरता की जांच परीक्षा दी और ए ग्रेड में सफल भी हुई। अब वे अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं। अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ाकर समाज की मुख्यधारा में सक्रिय रूप से अपना जुड़ाव चाहती हैं।

बच्ची देवी कहती हैं – मैं भविष्य में अपना कुटीर उद्योग लगाने की इच्छा रखती हूं। इसके माध्यम से आसपास के लोगों को भी इस काम से जोड़कर उनकी मदद करना चाहती हूं।

अपना भविष्य खुद बनाऊंगी – उर्मिला देवी

उर्मिला देवी गुर्जर 34 वर्ष की हैं। पति का नाम मानसिंह गुर्जर है जो खेती और मजदूरी का काम करते हैं। उर्मिला देवी अपने परिवार के साथ सवाई माधोपुर जिले के बामनवास तहसील की एक ढाणी में रहती हैं। उर्मिला देवी के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की।

उर्मिला देवी बचपन में पढ़—लिख नहीं पाई। कारण वही पुराने। स्कूल का दूर होना, लड़की जात में जन्म होना, समाज में लड़कियों का पराया धन समझा जाना, गरीबी आदि। खैर, असाक्षर अवस्था में ही उर्मिला देवी की शादी मान सिंह गुर्जर से हो गई। ससुराल में थोड़ी सी खेती थी। खेत में काम न होने पर मजदूरी करनी पड़ती थी। इसी से गुजारा चलता था।

शुरू—शुरू में तो सब ठीक रहा। समय के साथ—साथ दो बच्चे हो गये। परिवार बड़ा हुआ तो जिम्मेदारियां भी बढ़ीं। बच्चे बड़े होने लगे। उनकी लिखाई—पढ़ाई और अच्छी परवरिश में बाधा आने लगी। अब उर्मिला भी छोटी—मोटी मजदूरी करने लगी। नरेगा आने के बाद मजदूरी के लिए वहां जाने लगी। थोड़ा सहारा हुआ।

बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई तो उर्मिला को लगा — काश देख पाती, बच्चे क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? अब जाकर उर्मिला को अपने न पढ़ पाने का अहसास हुआ। खैर, देर आयद, दुरुस्त आयद। उसने सुना था कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और उसकी किस्मत कि उन्हीं दिनों साक्षर भारत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रेरक घर—घर जाकर असाक्षर महिला और पुरुषों के नाम लिख रहे थे। प्रेरक से उर्मिला ने सारी जानकारी ली। साथ ही यह तसल्ली भी कि वह पढ़ना—लिखना सीख जाएगी। प्रेरक ने भी कई उदाहरण दिए और समझाया कि जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है।

उर्मिला के दिमाग में बात जम गई। उसने लोक शिक्षा केंद्र पर जाना शुरू कर दिया। शुरू में अटपटा सा लगा। सीखने में भी दिक्कत हुई। उर्मिला ने 18 मार्च 2012 को साक्षरता की परीक्षा दी पर सफल नहीं हुई। रिजल्ट आने पर उर्मिला हताश हो गई। पर प्रेरक ने फिर समझाया। समझाया कि अभ्यास से सब कुछ संभव है। उसे एक बार और परीक्षा देनी चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस बार पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देनी चाहिए। ऐसे हार मान लेना ठीक नहीं।

उर्मिला को प्रेरक की बात ठीक लगी। उसने फिर कमर कस ली। अब उसे जो भी समय मिलता उसमें अभ्यास करती रहती, पढ़ती रहती। इस बार उसने परीक्षा देने की जल्दबाजी नहीं की। पूरे एक साल बाद 17 मार्च 2013 को दुबारा परीक्षा में बैठी और सफलता प्राप्त की। अब उर्मिला देवी में एक नया जोश था भविष्य के प्रति आशा थी। उर्मिला देवी थोड़ा—थोड़ा सिलाई जानती थी। उसने अपने गांव की एक महिला से सिलाई भी सीख ली। पति ने उसे एक मशीन लाकर दी। अब उर्मिला लोगों के कपड़े सिलने लगीं। शुरू में 50 रुपये की आमदनी हुई। फिर आमदनी बढ़ने लगी। उर्मिला को अब मजदूरी पर नहीं जाना पड़ता। उसके पति भी खुश हैं और बच्चे भी।

उर्मिला कहती हैं – पहले अनपढ़ होने के कारण मजदूरी के अलावा कोई काम नहीं कर सकती थी पर साक्षर भारत ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं अपना भविष्य खुद बनाऊंगी। मैं आगे भी पढ़ूँगी, तीसरी पांचवी, आठवीं और आगे।

; g r ksl cluxhg, b hfd r uhghmfe, fi Lr kv, cPphusi jwshkeau t kus D, k&D, k l i usl b k sghsi j | Kkj Hkj r d sv ld fLd : i l sca gkst kusd sd kj .k mu l i ukusmMu Hkj usl si gysghne r kMfn; Av kf, kj d c t ld j ge l Kkj r kd v gfe; r l e> i k, asv, bl sv i uhi, fed r k cuki k, A fod k d sbl nkSeat c Hkj r l fgr l epwsfo"o eal rr~fod k y {; led h ppkZgksj gh gSv, kS l E wZfo"o l Kkj r kd suoju mp kbjed ksNwsd sfy , r Rj gSje, Hkj Hkj r t Ssd k Zled k foDy i <wkukgkkr kfd mfe, fi Lr kv, cPph ht, Esy k, led hmEhm led ksl ld kj fd ; k t k l d A

मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करुंगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे कि भारत उनका देश है, जिसके निर्माण में उनकी आवाज का महत्व है। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करुंगा कि जिसमें ऊंचे और नीचे वर्गों का भेद नहीं होगा और जिसमें विविध सम्प्रदायों में पूरा मेलजोल होगा।

—महात्मा गांधी

राष्ट्रपिता बापू के सिद्धांतों पर अमल करते हुए उनके सपनों को साकार करना ही उन्हें हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है।

— अशोक गहलोत

सामाजिक विधि-विधान समाज में विविध प्रकार के द्वन्द्वों के फलस्वरूप धर्म के अनुमोदन से बने हैं। इसलिए हम कहते हैं कि धर्म समाज का विधानदाता न बने। शिक्षा का अर्थ है, मनुष्य के भीतर पहले से ही विद्यमान पूर्णता की अभिव्यति। धर्म का अर्थ है, मनुष्य के भीतर पहले से ही विद्यमान ब्रह्म की अभिव्यक्ति। अतः दोनों ही मामलों में शिक्षक का कार्य मार्ग से सब बाधाओं को हटा देना भर है।

— स्वामी विवेकान्द

कौशल विकास के लिए मुक्त शिक्षा संसाधन मुक्त विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण

अशोक कुमार गाबा
पी. प्रकाश

कार्यबल का विकास किसी देश, विशेष रूप से विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिए प्रमुख मुद्दों में से एक है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से श्रमिकों के मौजूदा ज्ञान और कौशलों को अद्यतन बनाना आवश्यक है। यह कार्य जटिल लगता है क्योंकि भारत में अधिकांश कार्यबल असंगठित क्षेत्र में हैं। इसमें विभिन्न स्थानों पर स्थित लोगों का समावेश होता है और सरकार के लिए ऐसे बिखरे हुए कर्मचारियों को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। इसके अलावा, उनमें से अधिकतर कम वेतन वाले हैं और उनके पास कोई सुरक्षित नौकरियां नहीं हैं। उदाहरण के लिए, भारत में असंगठित क्षेत्र में 464 मिलियन का अनुमानित कार्यबल है। औपचारिक प्रणाली के माध्यम से उद्योग की जरूरत के अनुसार अपने मौजूदा कौशल और दक्षताओं को बढ़ाने में यह मुश्किल है। इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के लिए उच्च लागत वाले उपकरण और प्रयोगशाला की सुविधा प्रदान करना आसान नहीं है और यह उनके विकास में मुख्य बाधा है। प्रस्तुत आलेख मुक्त शिक्षा संसाधनों (ओपन एजुकेशन रिसोर्सज-ओईआर) का उपयोग कर व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वैकल्पिक रणनीति पर चर्चा करता है। कार्यक्रम की प्रमाणीकरण के लिए, लेखकों ने भारत के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इंग्नू) में विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले शिक्षार्थियों से ओ ई आर के उपयोग पर राय मांगी। अध्ययन के निष्कर्ष, कौशल विकास के लिए ओ ई आर के उपयोग पर महत्वपूर्ण परिणाम प्रकट करते हैं। आलेख मुक्त विश्वविद्यालय के लिए कौशल विकास का एक मॉडल पेश करता है।

परिचय

अध्यापन—अधिगम की प्रक्रिया में मुक्त शिक्षा संसाधनों (ओ ई आर) का उपयोग पिछले दशक से दुनिया भर के विद्वानों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। विद्वानों ने शब्दावली, फायदे और सीमा के संदर्भ में इसके उपयोग पर तर्क दिया है। उन्होंने ओ ई आर को गैर-वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उपयोगकर्ताओं के समुदाय द्वारा परामर्श और अनुकूलन के लिए ‘प्रौद्योगिकी—सक्षम, शैक्षिक संसाधनों के खुले प्रावधान’ के रूप में परिभाषित किया। बूचर (2011, पृ. 6) ने जोर दिया कि ओ ई आर खुली शिक्षा, संसाधन—आधारित शिक्षा और मुक्त प्रकाशन के समान नहीं है। यह नई तकनीक द्वारा सक्षमता प्रदान करता है जो विभिन्न मीडिया के उपयोग की अनुमति देता है। उनके अनुसार ‘ओ ई आर’ विशेष रूप से शिक्षण

और शिक्षण-सामग्री को संदर्भित करता है जिसे विनों के लेखों के माध्यम से शैक्षिक अधिगम के लिए शामिल किया जा सकता है।' पेरिस ओईआर घोषणा (यूनेस्को, 2012) ने कहा कि "ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज शब्द शिक्षण, सीखने और किसी भी माध्यम, डिजिटल या अन्यथा में शोध सामग्री, जो सार्वजनिक डोमेन में रहती है या एक खुले लाइसेंस के तहत जारी की गई है, जो बिना किसी सीमित प्रतिबंध (पृ.1) वाले लोगों द्वारा बिना लागत वाली पहुंच, उपयोग, अनुकूलन और पुनर्वितरण की अनुमति देती है।" ओ ई आर पर विकिपीडिया लेख ने ओ ई आर की अवधारणा को 'मुक्त और दूरस्थ (ओ डी एल) प्रणाली में विकास से ओ ई आर आंदोलन के रूप में सारांशित किया और मुक्त ज्ञान स्रोत, शुल्क साझा करने और सहकर्मी सहयोग की संस्कृति के व्यापक संदर्भ में, जो 20वीं सदी में प्रकाश में आया है।

अनुसंधान की समीक्षा

विद्वानों ने एक अलग संदर्भ में ओ ई आर के उपयोग पर विभिन्न शोध अध्ययन आयोजित किए हैं। वर्तमान अध्ययन के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक अनुसंधान समीक्षाओं का एक संक्षिप्त सारांश की जांच की गई है। कंवर (स) (2010) ने ओ ई आर को विशेष रूप से विकासशील देशों में शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए उपयोगी बताया, क्योंकि यह सामग्री विकास के लिए समय बचाता है, ज्ञान साझा करने में मदद करता है, शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण संसाधन प्रदान करता है और सभी स्तरों पर शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करता है। विकासशील देशों में अधिकांश मुक्त विश्वविद्यालय (ओ यू) गुणवत्ता आश्वासन की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ओ ई आर का प्रभावी उपयोग इस समस्या का समाधान प्रदान कर सकता है। ओ ई आर का लाभ यह है कि यह राष्ट्रमंडल अधिगम (2011) द्वारा वर्णित सीखने की मुक्त प्रणाली के सभी सिद्धांतों और दर्शन को पूरा करता है। फैरो एवं अन्य (2015) ने पाया कि ओ ई आर के कार्यान्वयन से छात्रों के प्रदर्शन में सुधार हो सकता है।

मुक्त विश्वविद्यालय/दूरस्थ शिक्षण मुद्रित सामग्री (एसएलएम) उच्च शिक्षा की कुल लागत के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में योगदान देती है। इस लागत का बोझ छात्रों, माता-पिता और उनके समर्थन करने वालों के कंधों पर पड़ता है। शोध इंगित करता है कि (एसएलएम) की औसत आवर्ती लागत कार्यक्रम के अनुसार भिन्न होती है। यह दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (गाबा (स) 2011) की कुल संस्थागत लागत (आवर्ती) के 60 से 90 प्रतिशत तक है। इस प्रकार, ओ ई आर में एक महत्वपूर्ण राशि बचाने की क्षमता है। हिल्टन एवं अन्य (2014) ने कहा कि यदि '2011 की शरद ऋतु के प्रारंभ में होने वाले सेमेस्टर के दौरान कॉलेज में दाखिला लेने वाले अमेरिका के 20,994,113 छात्रों में से केवल पांच प्रतिशत ने ही अगर इन बचत का लाभ उठाया हो तो; कुल बचत लगभग एक अरब डॉलर प्रति वर्ष होगी।'

भारत में मुक्त विश्वविद्यालय (ओयू), एसएलएम की छपाई पर भारी मात्रा में पैसा खर्च कर रहे हैं; और यदि ओईआर अपनाया जाता है तो वही व्यय बचाया जा सकता है। यह रणनीति समय बचाने में मदद करेगी और जो पहले से मौजूद है, उसके अनावश्यक पुनरावृत्ति को खत्म कर देगी। इसके अलावा, यह कॉपीराइट समझौते और स्वीकृति की लागत को भी कम करेगा। इसलिए, ओ यू कार्यक्रम की इकाई लागत की तुलना में ओ ई आर का उपयोग करने लाभ/तुलनात्मक विश्लेषण के बारे में अध्ययन करना और भी आवश्यक हो जाता है। यूनिट लागत की गणना एस एल एम, परामर्श सत्र, व्यावहारिक सत्र, असाइनमेंट/परियोजना आदि के मूल्यांकन आदि के मुद्रण और वितरण के संदर्भ में संस्थागत और छात्र दृष्टिकोण से की जा सकती है।

कुछ शोध अध्ययनों ने ओ ई आर के उपयोगों के बारे में तर्क दिया है और सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्रत्येक शिक्षार्थी इंटरनेट की पहुंच, और सामग्री की प्रासंगिकता और गुणवत्ता जैसे मुद्दों की ओर इशारा किया है। विद्वानों (लेसरकल, 2011) द्वारा भाषा, संस्कृति और बुनियादी ढांचा जैसे मुद्दों को भी उठाया गया। कोबो (2013) ने स्थापित किया कि अंग्रेजी भाषा के अलावा समय के साथ स्पेनिश और पुर्तगाली भाषाओं में ऑनलाइन सामग्री बढ़ रही थी। अन्य भाषाओं में विशेष रूप से विकासशील देशों में ओ ई आर सामग्री की पहुंच पर अध्ययनों की अब तक रिपोर्ट नहीं मिली है। एलन और सीमान (2014) ने बताया कि संकाय की धारणा के अनुसार, ओ ई आर के अधिक व्यापक रूप से अपनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाधा यह थी कि सामग्री का पता लगाने और मूल्यांकन करने के लिए बहुत अधिक समय और प्रयासों की आवश्यकता थी। इसके अलावा, हाई स्पीड बैंडविड्थ वाले डिजिटल प्रौद्योगिकी की पहुंच शिक्षार्थियों के बीच एक उभरती हुई समस्या है। डॉन (2012) ने संकाय प्रोत्साहनों को भी उजागर किया है; दुनिया भर में उच्च शिक्षा संस्थानों में ओ ई आर का उपयोग करते समय व्यापार मॉडल और अभिगम्यता अन्य उभरती हुई समस्याएं हैं। डी लगान (2013) ने सुझाव दिया कि ओ ई आर के लिए व्यापार मॉडल एक संगठन की रणनीति के साथ सीधा होना चाहिए। ओ ई आर के उत्पादकों और गोद लेने वाले संकाय सदस्यों के पास उचित प्रोत्साहन, होना चाहिए। गुणवत्ता मुद्दों (धनराजन, 2013, मिश्रा, 2013, पावलोवस्की, 2007 और और विकीएडयूकेटर, 2009) पर काफी पहले से ही लिखा गया है। विद्वानों ने तर्क दिया कि ओ ई आर की गुणवत्ता की परिभाषा व्यक्तिपरक और प्रासंगिक रूप से निर्भर है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि शिक्षण और सीखने की गतिविधि में उपयोग किए जाने वाले ओ ई आर की गुणवत्ता का आकलन करने की जिम्मेदारी संस्थान, कार्यक्रम/पाठ्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम के वितरण के लिए जिम्मेदार व्यक्तिगत शिक्षकों के भीतर निहित होनी चाहिए।

संबंधित अध्ययनों की समीक्षा से पता चलता है कि शिक्षा व्यवस्था में ओ ई आर के उपयोग पर विद्वानों के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। यह काफी संभव है कि एक व्यक्तिगत

संरथा द्वारा अपनाई गई एक विशिष्ट ओ ई आर, दूसरों के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकती है, भले ही इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जा सके। उदाहरण के लिए, www.oerafrica.org अफ्रीका में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए स्थापित किया गया है। हाल ही में, दुनिया भर में मुक्त विश्वविद्यालयों ने कार्यक्रमों के वितरण के लिए ओ ई आर के उपयोग की शुरूआत की। ePir fo" ofo! ky ; v ksbZv ij d sfod K eav i uhl bFkkr v ksu y uZi gy <http://www.open.ac.uk/openlearn>) के माध्यम से एक विश्व नेतृत्व के रूप में उभरकर सामने आई हैं। अधिगम (ओपन लर्न) अपने ओपन और मुफ्त ऑनलाइन संसाधनों के लिए मुक्त विश्वविद्यालय का वेब एक्सेस पॉइंट है। यह 2006 में स्थापित किया गया था और ओपन यूनिवर्सिटी (<http://www.open.ac.uk/openopenlearn>) का एक एकीकृत हिस्सा बन गया है।

दुनिया के अधिकांश देश विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से इसका उपयोग करने की प्रक्रिया में हैं। मिसाल के तौर पर, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एम आई टी) ने एक मंच बनाया है – ओपन कोर्स वेयर (ओ सी डब्लू) जिसमें संकाय मुफ्त उपयोग के लिए अपने स्वयं के व्याख्यान नोट्स ऑनलाइन रख सकता है। राष्ट्रमंडल के छोटे राज्यों के लिए आभासी विश्वविद्यालय (वर्चुअल यूनिवर्सिटी) ने मुफ्त संलेखन वेब संसाधनों का उपयोग करके सहयोगी पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए हैं। हालांकि, विकासशील देशों में इन संसाधनों का उपयोग चीन, भारत, जापान, वियतनाम और इंडोनेशिया को छोड़कर विकसित देशों की तुलना में धीमा है। फिलिपींस ओपन यूनिवर्सिटी ने कई दृष्टिकोण अपनाए। शोध के साक्ष्य बताते हैं कि व्यक्तियों की अलग-अलग शैक्षिक शैलियां और वरीयताएं होती हैं। यह अधिगम केंद्रित दृष्टिकोण की ओर रुख करता है। इसलिए, ओ ई आर उपयोगी होगा और प्रत्येक व्यक्ति के लिए सहायक होगा (रॉबर्ट एवं अन्य 2015)। कंवर (2015) ने 26 मार्च को पापुआ न्यू गिनी में आयोजित ओ ई आर कार्यशाला के दौरान कहा था कि:

“बुंदा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, मलावी के छात्रों के पास संचार कौशल पर कोई पाठ्यपुस्तक नहीं थी और वे पूरी तरह से व्याख्यान पर निर्भर थे। अब उनके पास पाठ्यपुस्तक है, जिनमें से 75 प्रतिशत वेब ओ ई आर पर आधारित हैं और स्थानीय रूप से प्रासंगिक गतिविधियों, उदाहरणों और असाइनमेंट के पूरक हैं। जोस विश्वविद्यालय नाईजीरिया में एक व्याख्याता ने इस पाठ्यपुस्तक की खोज की और इसे अपनाया, यह दक्षिण-दक्षिण सहयोग का एक मिशाल है।”

कौशल विकास कार्यक्रमों के वितरण के लिए दुनिया भर में खुले विश्वविद्यालयों द्वारा उनके विचारों पर विश्लेषण किया जा सकता है। शोध ने आगे स्थापित किया कि ओ ई आर ओ डी एल प्रणाली के माध्यम से कौशल को बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए,

अनुरूपद्विका एवं अन्य (2015) ने ओ ई आर आधारित ई-लर्निंग कोर्स के माध्यम से प्राप्त अधिगम के अनुभवों पर शिक्षक और छात्रों की धारणा की जांच की। अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया कि ऑनलाइन शिक्षण और ओईआर एकीकरण की समग्र वैशिक प्रवृत्ति शिक्षक और छात्र अधिगम में वृद्धि और अंग्रेजी भाषा और कंप्यूटर उपयोग के संबंध में कौशल विकसित करती है। यह स्थापित किया गया है कि ओ ई आर कौशल को बढ़ाने में सहायक है। यद्यपि इसके प्रभाव पर कई अध्ययनों की सूचना नहीं मिली है, फिर भी इसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

भारत में मुक्त शिक्षा संसाधन (ओ ई आर) की पहल

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत (जी ओ आई) ने ओ ई आर से संबंधित विभिन्न योजनाएं भी शुरू की हैं। उनमें से एक प्रौद्योगिकी उन्नत शिक्षण (एन पी टी ई एल) पर राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसने बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्रों में ओ ई आर की शुरूआत की है। यह परियोजना सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी), भारतीय विज्ञान संस्थान और देश भर के अन्य प्रमुख संस्थानों द्वारा की जा रही है। अन्य पहल – एकलव्य परियोजना आईआईटी बॉम्बे द्वारा शुरू की गई और आई आई टी केरल द्वारा ई-प्रिड परियोजना प्रारंभ की गई। एकलव्य परियोजना में, सामग्री को विभिन्न भारतीय भाषाओं में विकसित किया गया था जो इंटरनेट पर प्रसारित किए गए थे। इसने मुक्त शैक्षिक एनिमेशन भंडार स्रोत (ओ एस सी ए आर) विकसित किया था जो शिक्षण के लिए वेब-आधारित इंटरैक्टिव एनिमेशन प्रदान करता है। ओ एस सी ए आर छात्र विकासकर्ताओं के लिए प्रशिक्षकों से विचारों और मार्गदर्शन के आधार पर एनिमेशन बनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। दोनों परियोजना को उद्योग द्वारा वित्त पोषित किया गया था (कुमार, 2009)। हाल ही में, मानव संशाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आकांक्षी युवाओं के लिए स्टडी वेब ऑफ एकिटव लर्निंग (स्वयं) नामक परियोजना करके ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मंच और पोर्टल प्रदान करता है। लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक शीर्ष निकाय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एन आई आई एस बी यू डी), ने 10 नवंबर, 2014 और 6 जून, 2015 को कौशल विकास पाठ्यक्रम बनाने के लिए ओ ई आर का उपयोग करने पर कार्यशालाएं आयोजित कीं। इन मुक्त सामग्री का लाभ यह है कि कोई उपयोग, अनुकूलन और साझेदारी हेतु कानूनी रूप से और स्वतंत्र रूप से प्रतिलिपि बना सकता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने देश के मुक्त दूरस्थ अधिगम संस्थानों द्वारा विकसित डिजिटल लर्निंग संसाधनों को स्टोर, इंडेक्स, संरक्षित, वितरित और साझा करने के लिए 2005 के दौरान एक ज्ञान भंडार के विकास की शुरूआत की, जिसे ई-ज्ञानकोश कहा जाता है। इग्नू की दूसरी पहल लचीला अधिगम थी। यह एक ओपन कोर्स पोर्टल था जिसमें कोई भी निःशुल्क

भागीदारी के लिए पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत कर सकता है और उन्हें खोज सकता है। वर्तमान में, नीतिगत कारणों से इन गतिविधियों की समीक्षा की जारी रही है।

पिछली पहलों के मूल्यांकन पर अध्ययनों की अब तक रिपोर्ट नहीं मिली है। लेकिन, यह देखा गया है कि शिक्षक और छात्र समुदाय ने ओ ई आर से ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। यह ओ ई आर नीति नहीं होने के कारण हो सकता है और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यचर्चा ढांचे के साथ एकीकृत नहीं होने के कारण भी हो सकता है। भारत सरकार ने हाल ही में उच्च शिक्षा संस्थानों में एम.ओ.ओ.सी. के सामग्री विकास और कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

कौशल विकास के लिए मुक्त शिक्षा (ओ ई आर)

भारत के राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने देश के समग्र आर्थिक विकास में प्रमुख बाधा के रूप में कौशल की कमी की पहचान की है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (2009–10) के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में कुल रोजगार 465 मिलियन है (संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में)। कुल कार्यबल (465 मिलियन) में, 94 प्रतिशत (435 मिलियन) असंगठित क्षेत्र में है। अकेले कृषि क्षेत्र में कुल 246 मिलियन कर्मचारी हैं (www.mospi.nic.in) जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का 50 प्रतिशत भाग है। असंगठित क्षेत्र में कम उत्पादकता है और आमतौर पर कम मजूदरी का भुगतान किया जाता है। असंगठित क्षेत्र में सभी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नीति निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती है। अधिक संसाधन जैसे अधिक प्रयोगशाला/कार्यशालाओं, मास्टर प्रशिक्षकों आदि और उनके मौजूदा कौशल को बढ़ाने और नए कौशल प्रदान करने के लिए धन की आवश्यकता है। मौजूदा औपचारिक प्रणाली और उपलब्ध बुनियादी ढांचे के माध्यम से उन सभी को प्रशिक्षित करना संभव नहीं है। इसलिए, इस क्षेत्र में विविध श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वैकल्पिक प्रणाली की आवश्यकता है। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने निम्नलिखित चार समूहों के तहत असंगठित श्रम बल को वर्गीकृत किया है:

- व्यवसाय-छोट और सीमांत किसान इत्यादि। (किसान श्रेणी-हेक्टेयर यानी भूमि स्वामित्व अधिग्रहण के आकार के आधार पर);
- रोजगार का स्वरूप कृषि मजदूर, बंधुआ मजदूर, प्रवासी श्रमिक आदि (इन श्रमिकों का आय स्तर कम है और रोजगार काफी अनियमित है);
- विशेष रूप से दबावयुक्त श्रेणियां-ताड़ी-मजदूर, सफाईकर्मी इत्यादि; तथा
- सेवा श्रेणियां-मछुआरे और महिलाएं, नाई सब्जी और फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता आदि;
- इन चार श्रेणियां - मछुआरे के अलावा, बड़ी संख्या में असंगठित मजदूर मौजूद हैं जैसे मोची, मशीन चालक, हथकरघा बुनकर, महिला दर्जी आदि। (भारत सरकार,

भारत की तरह, अन्य विकासशील देशों को भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सभी स्तरों पर इसके महत्व को पहचानना और ओ ई आर के उपयोग के माध्यम से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओ डी एल) प्रणाली में क्या हासिल किया जा सकता है, इसका आकलन करना समय की आवश्यकता है। सीखने वाले को सरल तरीके से सीखने के माहौल का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए अब एक तेजी से बहु-मॉडल वितरण तंत्र का उपयोग किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) और कौशल विकास के क्षेत्र में ओ डी एल के सिद्धांतों का समर्थन और प्रचार की भूमिका को समझाने की आवश्यकता है। ओ डी एल प्रणाली का एक अन्य लाभ यह है कि कर्मचारी (सेवारत) अपनी वर्तमान नौकरी की बलि किए बिना अपनी गति और स्थान पर कौशल सीख सकते हैं। ओ डी एल ने, कई प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के साथ, गैर परंपरागत मोड़ को शिक्षा और प्रशिक्षण की पारंपरिक प्रणाली के रूप में प्रभावी बना दिया है। ओ डी एल प्रणाली प्रशिक्षुओं के बीच कौशल, क्षमता निर्माण और रोजगार क्षमता को विकसित कर सकती है। दूरस्थ शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) के व्यापक उपयोग की आवश्यकता है जिसे एम ओ यू सी के प्लेटफार्म में बढ़ाया जाना चाहिए। भारत सरकार के 'कौशल विकास पर 2015 की राष्ट्रीय नीति' दस्तावेज ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में खिले हुए शिक्षार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आधुनिक प्रशिक्षण तकनीकों के उपयोग पर भी प्रकाश डाला है। ओ ई आर उन छात्रों को संसाधनों की पहुंच प्रदान करने में मदद करता है जो कार्य प्रतिबद्धताओं, भौगोलिक दूरी (सीधी रेखा दूरी) या कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में पर्याप्त पूर्व-शिक्षण अनुभव से वंचित थे। इसके संदर्भ में, लेखकों ने वर्तमान संदर्भ में ओईआर के स्थान पर 'ओपन स्किल ट्रेनिंग रिसोर्सस (ओ.एस.टी.आर)' मुक्त कौशल प्रशिक्षण संसाधन का इस्तेमाल किया। ओ.एस.टी.आर विशेष रूप से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विकसित किया जाएगा। इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत, एक संक्षिप्त आयोजित करते समय छात्रों के उपयोग पर छात्रों की धारणा को तलाशने का प्रयास किया गया है। यहां यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि प्रतिदर्श छात्र इग्नू में अपने संबंधित कार्यक्रमों का अध्ययन करने के समय (ओ.एस.टी.आर) का उपयोग नहीं कर रहे थे।

अध्ययन का उद्देश्य

संक्षिप्त सर्वेक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित के संबंध में अधिगमकर्ताओं की धारणा की पहचान करना था:

- (क) मुक्त शैक्षणिक संसाधनों का उपयोग करके सीखना और पढ़ाना; तथा
- (ख) शिक्षार्थियों के प्रदर्शन पर (ओ.एस.टी.आर) के उपयोग के प्रभाव।

अनुसंधान पद्धति

लेखकों ने अध्ययन के उद्देश्यों से संबंधित 32 प्रश्नों सहित एक प्रश्नावली तैयार की।

प्रश्नावली जुलाई 2014 के दौरान 351 शिक्षार्थियों को ई—मेल किया गया था। केवल तीन व्यावसायिक कार्यक्रमों के अध्ययन के लिए यह इग्नू में पंजीकृत दूरस्थ शिक्षार्थियों तक सीमित था। टेलीफोन/ईमेल पते सहित पृष्ठभूमि की जानकारी को उनके संबंधित पंजीकरण फॉर्म से संकलित किया गया था।

विश्लेषण और निष्कर्ष

सर्वेक्षण के आंकड़ा विश्लेषण से पता चलता है कि:

- व्यावसायिक अध्ययन करने वाले अधिकांश छात्र शहरी क्षेत्र (62.3%) से संबंधित थे जिनमें पुरुष (78.1%) और अविवाहित (68.3%) थे। लगभग आधे उत्तरदाता 21–25 वर्ष के आयु वर्ग के (49.4%) थे, इसके बाद आयु वर्ग 31–35 वर्ष (23.8%), 26–30 वर्ष (17.0%); और 36–40 वर्ष (9.8%) के थे।
- उनमें से लगभग सभी के पास स्मार्ट फोन (93%) थे। 43% के पास इंटरनेट सुविधा के साथ लैपटॉप/डेस्कटॉप था। उनमें 63% के पास कंप्यूटर कौशल का ज्ञान था।
- अधिकांश उत्तरदाता ओ ई आर (91%) शब्द से अवगत नहीं थे। यह निष्कर्ष पिछले अध्ययन (हर्ट एल, 2013) की पुष्टि करते हैं।

मुक्त विश्वविद्यालय में कौशल विकास के लिए ओ.एस.टी.आर पर शिक्षार्थियों के विचार (एन त्र 351)

ओ.यू. में कौशल विकास के लिए ओ.एस.टी. आर के उपयोग संबंधी वक्तव्य में उत्तरदाता 'सहमत' थे:

- यह पाठ्यपुस्तकों से (72%) कम महंगा होगा।
- यह साथी छात्रों (67%) के बीच विचार साझा करने में मदद करेगा।
- यह मौजूदा कौशल (67%) को बढ़ाएगा।
- ओ एस आर मौजूदा प्रणाली (59%) की तुलना में असाइनमेंट जमा करने में छात्रों के लिए सहायक होगा।
- यह प्रशिक्षुओं के नौकरी प्रदर्शन में मदद (57%) करेगा।
- यह असाइनमेंट/परियोजना/अंतिम परीक्षा में अंक/ग्रेड बढ़ाएगा (57%)।
- यह अनुभव व प्राप्त करने और शिक्षिता (53%) में मदद करेगा।
- यह अध्ययन सामग्री समय पर प्राप्त न होने की समस्या को कम कर सकता है (49%)।
- वे एस.एल.एम की बजाय ओ.एस.टी.आर. के माध्यम से सीखना पसंद करेंगे (47%)।
- यह एस.एल.एम. (43%) से अधिक आत्मविश्वास पैदा करेगा।

ओ.एस.एल.एम. का उपयोग करने पर उत्तरदाताओं की धारणा का विश्लेषण बताता है कि इसका व्यक्ति के कौशल विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान अध्ययन के निष्कर्ष पूर्व अध्ययनों की रूपरेखा पर आधारित है अर्थात् सामान्य रूप से, 'आई सी टी पर अधिगम धारणा, और विशेष रूप से ओ ई आर में' (एल-फहाद, 2009, हर्ट एल, 2013, स्टोडेल, आदि 2006, बरब्यूल आदि 2000, गाबा और सेठी, 2010, नेटटेल, आदि 2000, सेरानों आदि 2000) के निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं। शिक्षार्थियों को लगा कि शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का लाभ यह है कि इसे किसी भी समय, कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है और छात्रों के सीखने के अनुभव को यह समृद्ध करेगा (एल-फहाद, 2009)। सर्वेक्षण के निष्कर्ष अर्थात् 'ओ ई आर की सामग्री अच्छी होगी,' 'पिछले अध्ययन की पुष्टि करता है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के तेज़ी से परिवर्तन के कारण मुक्त और दूरस्थ परिवर्तन के कगार पर है। शिक्षार्थी कहीं भी और कभी भी गुणवत्ता सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। ओ ई आर पर छात्रों के की धारणा के विश्लेषण ने इस धारणा का समर्थन किया जो स्वतंत्र रूप से काम कर सकता था। ओई आर कौशल को बढ़ाने के लिए एक प्रभावी माध्यम के रूप में माना जाता है। निष्कर्ष पहले के अध्ययनों की पुष्टि करते हैं कि आई सी टी छात्रों के संज्ञानात्मक कौशल को विकसित करता है (स्टोडेल आदि 2006)। ओ ई आर का उपयोग छात्रों को ऑनलाइन बैठने के लिए प्रेरित करेगा। यह उनके अध्ययन और आई.टी कौशल को भी विकसित कर सकता है। बेट्स (1996) ने महसूस किया कि ज्ञान आधारित समाज के लिए प्रासंगिक विकसित करने में एक प्रमुख चालक है। सेरानो और अलफोर्ड (2000) ने निष्कर्ष निकाला कि ई-लर्निंग शिक्षार्थियों को भाषा-सामग्री सीखने की गतिविधि में शामिल होने और अपनी उच्चतम महत्वपूर्ण सोच विकसित करने की शक्ति प्रदान करती है। यह अपने कौशल को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों द्वारा ओ ई आर का उपयोग करने के समय लागू हो सकता है। हालांकि, कुछ शिक्षार्थियों को उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी की अनुपस्थिति में कौशल विकास के लिए इसके उपयोग के बारे में आशंका थी। ये निष्कर्ष (भंडीगादी आदि 2015) द्वारा रिपोर्ट किए गए अध्ययन की रूपरेखा पर आधारित हैं।

अध्ययन में पाया गया कि कौशल विकास के लिए ओ.एस.टी.आर का उपयोग लागत प्रभावी होगा; यह साथी छात्रों के बीच विचार साझा करने और उनके मौजूदा कौशल को बढ़ाने में मदद करेगा। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के बीच मौजूदा कौशल यानी 'पूर्व शिक्षा' को पहचानना और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुसार, अपने कौशल eaof)] Hkj r eauHfr fuelZkv led schp i Zbk eqsg (http:msde.gov.in/nsqf.html.)।

पूर्व शिक्षा की मान्यता और ओ.एस.टी.आर. की पहचान

पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल) मूल्यांकन का एक रूप है जो औपचारिक प्रशिक्षण, गैर-औपचारिक या अनौपचारिक प्रशिक्षण, कार्य अनुभव और जीवन अनुभव के माध्यम से प्राप्त कौशल और ज्ञान को स्वीकार करता है। दूसरे शब्दों में, यह मूल्यांकन का एक तरीका

है जो बताता है कि प्रशिक्षु/शिक्षार्थी योग्यता या योग्यता के सेट के लिए मूल्यांकन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं या नहीं। एन.एस.क्यू.एफ की आवश्यकता के अनुसार पूर्व शिक्षा की मान्यता में ओ.एस.टी.आर. एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ओ.एस.टी.आर. ढांचा कार्यबल के ज्ञान और कौशल स्तर को मापने में मदद करेगा जो भारतीय श्रमिकों के कौशल अंतराल को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रस्तावित पहल कार्यस्थल पर उपयोग किए जाने वाले ज्ञान और अंतर्निहित कौशल के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मापती है:

- आर पी एल प्रशिक्षुओं के छिपे कौशल को पहचानेंगे; संरचित अधिगम से पूर्व अधिगम और प्रासंगिक प्रशिक्षण तक पहुंचने के लिए एक तरीके को सक्षम करेगा। यह मुक्त विश्वविद्यालय व्यवस्था के माध्यम से अधिक लचीलापन और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में अच्छी तरह से स्थापित होने की प्राथमिकता को सक्षम बनाएगा जिसे ओ.एस.टी.आर. के माध्यम से फिर से रूपांकित किया जा सकता है।
- नियोक्ता के लिए, आर पी एल प्रशिक्षुओं के बीच कौशल स्तर बनाने के लिए एक लागत प्रभावी और कुशल तरीका है। वर्तमान में, एनएसक्यूएफ आवश्यकता के अनुसार लाखों श्रमिकों को सुलभ उद्योग—प्रासंगिक कौशल ‘प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण’ की आवश्यकता है।

मुक्त विश्वविद्यालय के लिए ओ.एस.टी.आर. का एक ढांचा

मुक्त विश्वविद्यालय के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रम का ढांचा सक्षमता आधारित होना चाहिए। ये दक्षता प्रशिक्षुओं को विभिन्न कार्य परिस्थितियों में कार्यों को समझने में मदद करेगा जो मुख्य रूप से अधिगम के तीन उद्देश्यों से संबंधित हैं: (अ) व्यवसाय से संबंधित शैक्षिक अवधारणा विभिन्न कार्यों को करने के साथ व्यवसाय का ज्ञान; (ब) व्यवसाय के लिए आवश्यक विभिन्न कार्यों को करने के लिए कौशल; (स) व्यवसाय की ओर रुख। ज्ञान और कौशल अच्छी तरह से रूपांकित किए गए व्यावसायिक कार्यक्रमों के माध्यम से विकसित किए जाते हैं जबकि दृष्टिकोण समय के साथ लागू किया जा सकता है। ओ.यू. एक विशेष कौशल विकास कार्यक्रम के ज्ञान में सुधार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार के लिए योग्यता—आधारित पाठ्यक्रम की रूपरेखा और विकास महत्वपूर्ण है। मुक्त विश्वविद्यालय ओ.एस.टी.आर. के माध्यम से उपलब्ध व्यावसायिक सामग्रियों को अनुकूलित, अपनाने या इन्हें पुनः उपयोग कर सकते हैं। देश भर में स्थानीय जरूरतों के अनुसार इसे स्थानीय भाषाओं में अनुवादित किया जाना चाहिए। दक्षताओं में संज्ञानात्मक और प्रभावशाली डोमेन भी शामिल हो सकते हैं। एन.एस.क्यू.एफ. आवश्यकता के अनुसार ओ.यू.आर. से प्राप्त कौशल को मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है।

ओ.एस.टी.आर. के माध्यम से मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए एक कौशल और योग्यता—आधारित व्यावसायिक कार्यक्रम की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए:

- **ओ.एस.टी.आर.** की प्रासंगिकता एक विशेष व्यवसाय के कार्य (जॉब) विवरण से प्राप्त करने की अपेक्षित योग्यताएं जिसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है।
- **ओ.एस.टी.आर.** के माध्यम से रोजगार परकता नौकरी के अवसरों के आधार पर नौकरी के विवरणों को देखा जाना चाहिए या उनकी पहचान की जानी चाहिए, जो कि **ओ.एस.टी.आर.** के माध्यम से प्रशिक्षित प्रशिक्षु के लिए उपलब्ध मजूदरी और स्व—रोज़गार श्रेणियों दोनों को वेब पर उपलब्ध कर सकें।
- **कौशल दक्षताओं** का प्रमाणन योग्यता का वास्तविक प्रदर्शन व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है। स्थानीय कौशल परीक्षण मॉडल का उपयोग करके प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से अपनी गति से प्रगति करने की अनुमति देता है।
- योग्यता—आधारित प्रशिक्षण प्रशिक्षुओं को ई—प्रशिक्षण मॉडल का उपयोग करके प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से अपनी गति से प्रगति करने की अनुमति देता है।
- **ओ.एस.टी.आर.** के माध्यम से नौकरी प्रशिक्षण विशेषज्ञ श्रमिक नए प्रशिक्षुओं की तुलना में अपने काम का बेहतर वर्णन कर सकते हैं। वे कार्यकर्ता जिनके प्रदर्शन उनके कार्यस्थल पर बेहतर हैं, उस प्रकार की नौकरी में वे वास्तविक रूप में विशेषज्ञ हैं। हालांकि नए या कम कार्य अनुभव वाले पर्यवेक्षकों और प्रबंधकों को विकसित किए गए काम के बारे में बहुत कुछ पता हो सकता है, लेकिन आमतौर पर काम का अच्छा विश्लेषण करने के लिए उनमें विशेषज्ञता के आवश्यक स्तर की कमी होती है। **ओ.एस.टी.आर.** का उपयोग समय—समय पर उनके मौजूदा कौशल को अपग्रेड करने में मदद कर सकता छँग
- प्रशासनिक, पेशेवर, कार्यकारी, तकनीकी और परिचालन स्तर पर व्यवसायों का विश्लेषण करने के लए **ओ.एस.टी.आर.** का उपयोग किया जा सकता है।

मिश्रित अधिगम दृष्टिकोण के माध्यम से कौशल—आधारित कार्यक्रमों की पेशकश की जा सकती है। अनुभव के लिए, कार्यक्रम / कार्य केंद्र के मौजूदा मॉडल को अपनाया जा सकता है। इन केंद्रों को विभिन्न सहायक सामग्रियों से लैस किया जा सकता है ताकि शिक्षार्थी उन कौशलों को हासिल कर सकें जो केंद्र **ओ.एस.टी.आर.** के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। बहु—मीडिया पैकेज पूरकों के साथ (सीडी / डीवीडीयू ट्यूब / हैप्टीक डिवाइस / रेडियो / टीवी कार्यक्रम) शिक्षार्थियों को स्वयं—अध्ययन करने और व्यक्तिगत रूप से काम करने में सक्षम बनाता है। बहुआयामी अधिगम दृष्टिकोण प्रशिक्षुओं को आत्म—अध्ययन करने की अनुमति देगा और इसे समूह—कार्य, कार्यशालाओं, ट्यूटोरियल और अन्य संरचित गतिविधियों के साथ पूरक किया जाएगा। इंटरनेट के माध्यम से आई.आई.टी. शिक्षार्थियों को कंप्यूटर पर **ओ.एस.प्रौढ़ शिक्षा**

टी.आर. का उपयोग करने में सहायता देगा। यह स्व-अध्ययन मोड में हो सकता है या चैट, ई-मेल, वेब-कैम, वॉयस मेल इत्यादि के माध्यम से सहकर्मी और शिक्षक के साथ बातचीत हो सकती है। प्रस्तावित मॉडल, जो लागत प्रभावी है, ओपन यूनिवर्सिटी के परिप्रेक्ष्य हेतु उपयुक्त होगा। चांग आदि (2014) ने स्थापित किया है कि मिश्रित ई-लर्निंग आत्म-मूल्यांकन, ज्ञान और कौशल पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

कौशल विकास कार्यक्रमों का प्रमाणन

एन.एस.क्यू.एफ. आवश्यकताओं के अनुसार प्रमाणीकरण दिशानिर्देश तैयार करते समय मुक्त विश्वविद्यालयों को आवेदनों की समझ और कौशल प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिए। एन.एस.क्यू.एफ.को अधिक व्यवसाय मानकों को शामिल करने के लिए और उपचार की भी आवश्यकता है। यह भी सच है कि सभी कौशल-आधारित कार्यक्रमों के लिए मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। यह व्यावसायिक व्यापार से भिन्न हो सकता है। इसलिए, मूल्यांकन के लिए मानक मानदंडों के विकास की आवश्यकता है। यह कौशल आधारित कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए नए योग्यता परीक्षण मॉडल विकसित करने के लिए मुक्त विश्वविद्यालयों के बीच समस्याएं पैदा कर सकता है। एन.एस.क्यू.एफ. ने इन आधारों पर योग्यता के प्रमाणीकरण का भी सुझाव दिया है। मुक्त विश्वविद्यालयों समय-समय पर सरकार के सांविधिक निकायों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ओ.एस.टी.आर. का उपयोग करके व्यावसायिक व्यापार (कौशल और व्यावहारिक) की दक्षताओं की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया विकसित कर सकते हैं।

निष्कर्ष और सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन सूचना के प्राथमिक और माध्यमिक स्रोत पर आधारित है। लघु सरोकरण ने निष्कर्ष सामान्यीकृत नहीं किए जा सकते हैं, और प्रारंभिक निष्कर्षों के रूप में इसे माना जाना चाहिए। इसके प्रभाव और लागत प्रभाविकता के लिए और अनुसंधान की आवश्यकता है। विभिन्न मंचों पर ओ.ई.आर. का उपयोग करते समय विद्वानों ने पिछले शोध अध्ययनों जैसे – भाषा और सांस्कृतिक बाधाओं, प्रौद्योगिकी और इंटरनेट की पहुंच, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, स्थायित्व और वित्त पोषण में कुछ चुनौतियों का समाधान किया है। इन चुनौतियों के बावजूद, मुक्त विश्वविद्यालयों में ओ.एस.टी.आर. का उपयोग करने का अभी भी एक फायदा है। यह बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम सामग्री ढांचे तक पहुंचाने और असाइनमेंट / परियोजनाओं और व्यावहारिक गतिविधियों की तैयारी के लिए अपने साथी छात्रों से समर्थन प्राप्त करने की अनुमति देता है। वित्तपोषण की मॉडल मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाई गई परिचालन प्रणाली पर सीधे निर्भर करता है। अतीत में, विभिन्न देशों में कौशल विकास कार्यक्रम नियोक्ताओं द्वारा अपने स्वयं के श्रमिकों के लिए संचालित किया जाता था। लेकिन समय बीतने के साथ, नियोक्ता द्वारा आवश्यक कौशल अधिक जटिल हो जाता है। ओ.एस.टी.आर. लागत को कम करके इस समस्या को हल कर सकता है (कृपया

ध्यान दें: इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं और इन्हें उनके संस्थान से जोड़कर न देखा जाए, जहां वे वर्तमान में कार्य कर रहे हैं।)

संदर्भ

1. एल. फहाद (2009). स्टूडेंट्स एटीटूड एंड परसेप्शन टुवडर्स द एफिकिटवनेस ऑफ मोबाइल लर्निंग इन काइंड साऊदी अरब। द टर्किश ऑनलाइन जर्नल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी (टूजेट), 8(2) रिट्रीव एट <http://www.toject/net/articles/Vi2/8210/pdf>
2. एलन, आई और जे. सिमन (2014)। ओपनिंग द करीकुलम:ओईआर इन यूएस हायर एजुकेशन. रिट्रीव एट <http://www.onlinesurvey.com>
3. अनुरुधिका बी.जी.एच, के.ए.सी. अलविस, टी.डी.टी.एल. धनपाला, और के. केशीश्वरन (2015)। “टुवडर्स अ न्यू अवेन्युए ऑफ ओपन लर्निंग: टीचर स्टूडेंट्स’ परसेप्शन ऑन एक्सप्रिएंस ओबटेन थ्रू ओईआर बेर्स्ड इ-लर्निंग कोर्स.” पेपर प्रेसेंटेड एट 29 एनुअल कांफ्रेंस द एशियन एसोसिएशन ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी हेल्ड एट कुआलालमपुर (मलेशिया) फ्रॉम नवम्बर 30 से दिसम्बर 2.
4. बेट्स, ए. डब्ल्यू (1996): द इम्पेक्ट आफ टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग. केनोट एट ओपन एड्सेस लर्निंग: योर प्यूचर डिपेंडेस ऑन आईटी. क्वींसलैंड ओपन लर्निंग नेटवर्क, ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया
5. भंदीगडी, पी. एंड एम. बी. मेनन (2015), डिजाइन एंड डिलेवरी ऑफ एमओओसीस इन वागासन ओपन यूनिवर्सिटी: अ क्रिटिकल रिफलेकसन. पेपर प्रेसेंटेड एट 29 एनुअल कांफ्रेंस आफ द एशियन एसोसिएशन आफ ओपन यूनिवर्सिटी हेल्ड एट कुआलालमपुर (मलेशिया) फ्रॉम नवम्बर 30 – दिसम्बर 2.
6. बुर्बुलेस, एन.सी. एंड टी.ए. कालिस्टर (2002) यूनिवर्सिटीज इन ट्रांजीशन: द प्रॉमिस एंड द चैलेज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, टीचर्स कॉलेज रोड, 102(2).
7. बुचर, एन. (2011). आ बेसिक गाइड टू ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज (ओईआर). वैंकूवर: कॉमनवेल्थ आफ लर्निंग रिट्रीव फ्रॉम <http://www.col.org/Publication/Documents/Basic-Guide&TO-OER.pdf>
8. चांग, सी.के.एम.शू. शि. लिआंग जे.एस.टी.एस.एंड, और वाई.एस.एच.एस.यू. (2014). इज ब्लैंडेड-ई लर्निंग एस मिजर्ड बाई एन अचीवमेंट टेस्ट एंड सेल्फ-असेसमेंट बेटर देन ट्रेडिशनल क्लासरुम लर्निंग फॉर वोकेशनल हाई स्टूडेंट्स? द इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ रिसर्च इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, 15(2): 213–2311
9. कोबो, सी. (2013). एक्सप्लोरेशन आफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज इन नॉन-इंगिलिश स्पीकिंग कम्युनिटीज. इंटरनेशनल रिव्यू आफ रिसर्च इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, 14(2).
10. सीओएल (2011). आ बेसिक गाइड टू ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज (ओईआर), कनाडा: कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग (सीओएल).

-
11. डी. लैंगेन (2013). स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल बिज़नस मॉडल फॉर ओईआर. इंटरनेशनल रिव्यू आफ रिसर्च इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, 14(2). <http://www.irrodl.org>
12. धनराज, जी. (2013). “ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज़: आ पर्सपेरिट्व ऑन क्वालिटी” रिपोर्ट ऑन रीजनल कंसल्टेशन वर्कशाप ऑन डेवलपिंग क्वालिटी गाइडलाइन्स फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज़. नई दिल्ली: सीईएमसीए.
13. डॉन, ओल्कोट. जे.आर. (2012). ओईआर पर्सपेरिट्व: इमेजिंग इश्यूज फॉर यूनिवर्सिटीज. डिस्टेंस एजुकेशन, 33 (2): 283–290.
14. फैरो, आर. पिट, बी. आर्कोस, एल. पेरीमैन. एम. वेलर, और पी. एम. सी. एंड्रयू (2015). इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग: डाटा फ्रॉम ओईआर रिसर्च हब (2013–2014). ब्रिटिश जर्नल आफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, 46(5): 972–976.
15. गाबा, ए., एंड एस.एस. सेठी (2010). लर्नर्स’ परसेप्शन टुवर्ड्स आईसीटी: अ केस स्टडी ऑफ इन्हू इंडियन जर्नल ऑफ लर्निंग, 19(3): 143–158
16. गाबा, ए., एस. पांडा, सी.आर.के.मूर्ति (2011). कास्टिंग ऑफ डिस्टेंस लर्निंग: अ स्टडी ऑफ द इंडिया मेंगा ओपन यूनिवर्सिटी. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड डिस्टेंस लर्निंग. यूएसए, जून, 8 (6.59) (<http://www.itdl.org/Journal/Jun-11/Jun-11.pdf>).
17. <http://kbZ2009%जे.नेशनल.स्किल.डेवलपमेंट.पालिसी.www.ilo.org>.
18. जीओआई (2009): नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नई दिल्ली.जीओआई (2011): इंडिया वर्किंग ग्रुप ऑन ओपन एजुकेशन रिसोर्सज रिपोर्ट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
19. जीओआई (2012). रिपोर्ट ऑफ द समिति ऑन अन-आर्गनाईसड सेक्टर स्टैटिक्स, नई दिल्ली: नेशनल स्टैटिक्स कमीशन. http://mospi.nic.in/Mospi_New/upload/nsc_report un sec 14mar12.pdf.
20. हर्ट एल. (2013). डी मोटफोर्ट स्टूडेंट परसेप्शन एंड अंडरस्टैडिंग ऑफ ओईआर रिसर्च डिजरटेसन. www.sicklecellanemia.org.
21. हिल्टन प्प जे.एल., जे. राबिन्सन, डी. विले, एंड जे.डी. एककेमन (2014). कॉस्ट सेविंग्स अचीव्ह इन टू सेमेस्टर थू द एडॉशन ऑफ ओई.ई.आर. 15(2). <http://www.irrodl.org>
22. कंवर, ए, (2015). “ओपन एजुकेशन रिसोर्सज (ओईआर): वट, वाई एंड हाऊ?” ओईआर वर्कशाप पापुआ न्यू गिनी ऑन मार्च 26 (<https://www.col.org/news/speeches-presentations/open-education/resources-oer-what-why-how>).
23. कंवर, ए., बी कोधनदरमान एंड ए. उमर (2010). टुवर्ड्स सस्टेनेबल ओपन एजुकेशन, रिसोर्सज: ए पर्सपेरिट्व फ्रॉम द ग्लोबल. अमेरिकन जर्नल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, 24 pp. 65-80, doi 10, 1080-089923641003696588

24. कुमार, वी.एम.एस. (2009). ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज इन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट. ओपन लर्निंग: द जर्नल ऑफ ओपन, डिस्ट्रेंस एंड इ-लर्निंग, 24 (1):77–84.
25. लेसकर्ले, डी. (2011). गिविंग नॉलेज फॉर फ्री: द इमर्जेंस ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. <http://www.oecd.org/dataoecd/35/7/38654317.pdf>
26. मिश्रा पी. (2013). क्वालिटी एस्वेरेंस इन ऑईआर बेर्स्ट कोर्सवेर्यर: अ ट्रिपार्टी रिव्यू मैकेनिज्म. रिपोर्ट ऑन रीजनल कंसल्टेशन वर्कशाप ऑन डेवलपिंग क्वालिटी गाइडलाइन्स फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज. न्यू दिल्ली: सीइएमसीए.
27. नेत्लेस, आदि (2000). टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग: द 'नो सिग्निफीकेंट डिफरेंस' फैनोमेन. अ स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड इंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रिब्यूटेड लर्निंग इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, (सं.) दयूबन एंड मोस्कल, ऑलैंडो, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा.
28. एनआईइएसबीयूडी (2014). गेटिंग अहेड विथ द यूज ऑफ ऑईआर फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, इंडिया' ज फर्स्ट हैंड्स-ऑन वर्कशॉप ऑन यूज ऑफ ऑईआर फॉर fLd y May i e~~W~~- <http://niesbud.nic.in/docs/press/release/for/OER/24/10/14.pdf>.
29. पालोवस्की, जे.एम. (2007). द क्वालिटी एडाप्टेशन मॉडल: एडाप्टेशन एंड एडॉप्शन ऑफ द क्वालिटी स्टैण्डर्ड आइएसओ/आईइसी 19796-1 फॉर लर्निंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, 10, चचण.3.16⁴
30. रोबर्ट, बी.एफ.जूनियर., डी.एल.ए.एच. कोन्सुएलो, एंड ए.डी.एल.पी.रेंअल्ड (2015). “अप्लाईंग द मल्टीप्ल पाठ्स अप्रोअचेस फॉर” फिलिपीन बायोडायवर्सिटी ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज”. 29 एनुअल कांफ्रेंस ऑफ द एसोसिएशन ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज हेल्ड एट कुआलालामपुर (मलेसिया) फ्रॉम नवम्बर 30 – दिसम्बर 2.
31. स्टोरेल, इ.जे., थोमसन एंड सी.जे. मेक डोनाल्ड (2006). लर्नर्स पर्सप्रेक्टिव ऑन व्हाट इस मिस्सिंग फ्रॉम ऑनलाइन लर्निंग: इंटरप्रिटेशंस थू द कम्यूनिटी ऑफ इन्क्वायरी फ्रेमवर्क, आईआरआरओडीएल, 7(3).
32. सेर्वानो, सी. एंड आर.एल. एल्फोर्ड (2006). “वर्चअल लैंग्वेजः इन इनोवेटिव एप्रोच दू टीचिंग इएफएल/इएसइल इंगिलिश एज अ फौरन लैंग्वेज ऑन द वर्ल्ड वेब”, एल. लायड एंड लेस लायड (सं.) टीचिंग विथ टेक्नोलॉजी: रिथिकिंग ट्रेडिशन, मडफोर्ड, एनजे: इनफार्मेशन टुडे.
33. यूनेस्को (2002). वर्ल्ड ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज (ओएर) कांग्रेस, पेरिस, जून 20–22,

2012? [http://wikieducator.org/wikieducator:qualityassurance/framework/contribution/levels](http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/English/ParisWikiEducator (2009). क्वालिटी एस्वेरेंस फ्रेमवर्क पोर्टल. <a href=).

सेवारत शिक्षक— प्रशिक्षण का प्रशिक्षार्थियों की अभिवृत्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन

— उमेश चमोला

प्रशिक्षार्थियों के ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियोजित कार्यक्रमों को प्रशिक्षण कहते हैं। थामस ग्रीन के शब्दों में प्रशिक्षण का सीधा संबंध व्यक्ति के व्यवहार से है जो एक गत्यात्मक कौशल के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त होता है। प्रशिक्षण की प्रभावशीलता को जानने के लिए प्रशिक्षण के उपरान्त प्रशिक्षार्थियों के ज्ञान, अभिवृत्ति एवं कौशल में आए परिवर्तनों को मापना आवश्यक है।

समस्या की उत्पत्ति एवं चयन

वर्तमान सूचना संप्रेषण तकनीकी के दौर में सूचना प्राप्ति के कई संसाधन उपलब्ध हैं। ज्ञान के विस्फोट के इस युग में शिक्षण की परंपरागत विधियों में बदलाव की आवश्यकता शिक्षाविदों द्वारा स्वीकार की जाती रही है। विद्यालयी शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 तथा शिक्षक—शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 शिक्षण और प्रशिक्षण में नवीन पद्धतियों के क्रियान्वयन पर बल देती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुरूप नवीन शिक्षण पद्धतियों सेवारत प्रशिक्षण का अभिन्न अंग बन चुकी हैं। वर्ष 2014 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी, गणित एवं सामाजिक विज्ञान विषयों के शिक्षकों के दस दिवसीय सेवारत शिक्षक—प्रशिक्षण में विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 तथा शिक्षक—शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 के अनुरूप नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया गया। शोधकर्ता के मन में इस प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षार्थियों की अभिवृत्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने की जिज्ञासा उठी। अतः विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 तथा तथा शिक्षक—शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 में प्रस्तुत सृजनवाद के अनुरूप इस अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा 19 विचार बिन्दुओं पर आधारित शोध उपकरण के माध्यम से प्रशिक्षार्थियों की अभिवृत्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने का प्रयास किया गया है।

संबंधित साहित्य का अध्ययन

प्रशिक्षण का प्रशिक्षणार्थियों की कार्य क्षमता और कार्य की गुणवत्ता पर पड़ने वाला प्रभाव शोधार्थियों की रुचि का विषय रहा है। अर्चना कुमारी वर्मा ने वर्ष 2015 –17 में बियानी गर्ल्स बी.एड. कॉलेज, जयपुर के 120 छात्राध्यापकों (60 महिला और 60 पुरुष) पर किए अपने

शोध अध्ययन में पाया कि प्राप्त प्रशिक्षण से छात्राध्यापकों की प्रशिक्षण प्रक्रिया संबंधी अभिवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला। जो छात्राध्यापक प्रशिक्षण प्रक्रिया से वंचित थे उनकी अभिवृत्ति तुलनात्मक रूप से कम पाई गई। बी. सोहनी ने 1977 में बी. एड. के 99 छात्राध्यापकों पर शिक्षण अभ्यास और शिक्षण प्रभावशीलता के मध्य संबंध जानने के लिए एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में अध्यापक प्रभावशीलता के 21 घटकों का चयन किया गया। अध्ययन में शिक्षण अभ्यास और अध्यापक प्रभावशीलता के मध्य सकारात्मक सहसंबंध पाया गया। मासिन चंचल (1988) ने अपने अध्ययन में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की शैक्षिक अभिवृत्ति और उनके शिक्षण की प्रभावशीलता के मध्य सकारात्मक सहसंबंध देखा। जे.सी. ब्यास (1981) ने शिक्षा प्रसार कार्यक्रमों के द्वारा प्रशिक्षित अध्यापकों की निस्पादन क्षमता की प्रभावशीलता का अध्ययन किया। इस अध्ययन में उन्होंने प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों की निस्पादन क्षमता में सार्थक अंतर पाया। आर. के. मोहालिक (2007) ने अंग्रेजी विषय में विद्यार्थियों की उपलब्धि और शिक्षण प्रभावशीलता पर सेवारत शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन किया। उड़ीसा के विभिन्न विद्यालयों के दसवीं कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाने वाले 200 शिक्षकों और कक्षा 9 में अध्ययनरत 800 विद्यार्थियों में किए इस शोध अध्ययन में उन्होंने विद्यार्थियों की उपलब्धि और शिक्षण प्रभावशीलता पर सेवारत शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों का स्पष्ट प्रभाव पाया।

अध्ययन का औचित्य

संबंधित साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विभिन्न शोधार्थियों द्वारा प्रशिक्षण प्रक्रिया संबंधी अभिवृत्ति, शिक्षण अभ्यास और शिक्षण की प्रभावशीलता, शैक्षिक अभिवृत्ति का शिक्षण की प्रभावशीलता पर प्रभाव, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शिक्षकों की निस्पादन क्षमता पर पड़ने वाला प्रभाव, विद्यार्थियों की उपलब्धि और शिक्षण प्रभावशीलता विषयों को शोध हेतु चयन किया है। इनमें से अधिकांश शोध अध्ययन उच्च शिक्षा से संबंधित हैं। किसी भी प्रशिक्षण की प्रभावशीलता कई कारकों से प्रभावित होती है। प्रशिक्षण साहित्य का स्तर, प्रशिक्षण विधा, प्रशिक्षार्थियों का पूर्व ज्ञान, संदर्भदाताओं की योग्यता, प्रशिक्षण हेतु सृजित वातावरण आदि प्रशिक्षण की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। अतः सेवारत प्रशिक्षण से प्रशिक्षार्थियों की अभिवृत्ति पर पड़ने वाला प्रभाव हर प्रशिक्षण कार्यक्रम में अलग-अलग हो सकता है। प्रस्तुत अध्ययन में उत्तराखण्ड राज्य के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षार्थियों की अभिवृत्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने का प्रयास किया गया है। अध्ययन से प्राप्त परिणाम भावी प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने की दृष्टि से भी उपयोगी होंगे।

अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य माध्यमिक स्तर के शिक्षकों में शिक्षण-आधिगम प्रक्रिया से

जुड़े विभिन्न पक्षों से संबंधित अभिवृत्ति का प्रशिक्षण पूर्व और प्रशिक्षण के बाद की स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करना है।

अध्ययन हेतु परिकल्पना

माध्यमिक स्तर के शिक्षकों में शिक्षण—अधिगम प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पक्षों से संबंधित अभिवृत्ति में प्रशिक्षण से पूर्व और बाद की स्थितियों में कोई अंतर नहीं है।

अध्ययन का सीमांकन

यह अध्ययन उत्तराखण्ड के 13 जनपदों के कुल 65 प्रशिक्षार्थी शिक्षकों पर ही किया गया है। प्रति जनपद विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, हिन्दी और सामाजिक विज्ञान के एक—एक शिक्षक का चयन किया गया है।

अध्ययन हेतु उपकरण

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु शोधकर्ता द्वारा शिक्षण—अधिगम प्रक्रिया से जुड़े पक्षों पर 19 विचार बिन्दुओं पर आधारित शोध उपकरण तैयार किया गया। इसमें शिक्षण से जुड़ी परंपरागत और नवीन अवधारणाओं पर आधारित कुल 19 कथनों पर प्रशिक्षार्थी शिक्षकों से सहमति / असहमति और आंशिक सहमति के आधार पर प्रशिक्षण के प्रारंभ में और प्रशिक्षण संपन्न होने के बाद अनुक्रिया प्राप्त की गई है।

अध्ययन हेतु प्रयुक्त सांख्यकीय विधियाँ

इस अध्ययन में नॉरमेटिव सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। उत्तराखण्ड के 13 जनपदों में से प्रत्येक जनपद के विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, हिन्दी और सामाजिक विज्ञान के माध्यमिक स्तर के एक—एक शिक्षक इस प्रकार कुल 65 शिक्षकों का न्यादर्श के रूप में चयन किया गया है। न्यादर्श का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से किया गया है। पूरित कथनों में प्राप्त अनुक्रियाओं की स्थिति के विश्लेषण के लिए इनका प्रतिशत ज्ञात किया गया।

प्रदत्तों का संकलन

चयनित शिक्षकों को शोधकर्ता द्वारा तैयार कथनावली को पूरित करने को दिया गया। 65 शिक्षकों से पूरित कथनावली से प्राप्त सहमति, असहमति और आंशिक सहमति संबंधी अनुक्रियाओं का विश्लेषण किया गया।

परिणाम एवं व्याख्या

क्रम संख्या	विचार बिन्दु	प्रशिक्षण पूर्व स्थिति (प्रतिशत में)			प्रशिक्षण पश्च स्थिति (प्रतिशत में)		
		सहमत	असहमत	आंशिक सहमत	सहमत	असहमत	आंशिक सहमत
1	शिक्षक बच्चों की तुलना में अधिक ज्ञानी और अनुभवी होता है।	58.4	30.7	10.7	23.07	61.53	15.38
2	बच्चे का मरिटिष्ट कोरी स्लेट के समान होता है।	76.9	20.00	3.076	18.46	78.46	3.07
3	शिक्षण—अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका एक प्रभावी वक्ता और बच्चे की एक अच्छे श्रोता की होती है।	50.76	24.61	24.61	32.30	43.07	24.61
4	बच्चे ने क्या सीखा? इसका मूल्यांकन मासिक, अद्वावाणिक, वार्षिक आदि परीक्षाओं द्वारा ही करना संभव है।	56.92	20.00	23.07	18.46	61.53	20.00
5	विज्ञान विषय प्रायोगिक गतिविधियों पर आधारित है जबकि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रायोगिक गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए।	55.38	36.92	7.692	72.30	15.38	12.30
6	माध्यमिक स्तर (हाई स्कूल) के बच्चों के शिक्षण के लिए व्याख्यान सर्वश्रेष्ठ विधि है।	80.00	13.07	6.92	61.53	10.76	27.71.
7	कक्षा कक्ष में बेहतर अनुशासन का अर्थ है सभी बच्चे शिक्षक की कही हुई बातों को ध्यान से सुने। शिक्षक द्वारा दिए आदेश का पालन करें और अनावश्यक प्रश्न न पूछें।	70.76	16.92	12.30	27.69	15.38	56.92
8	कक्षा कक्ष में बच्चों को स्वयं सीखने के अवसर देने से अनुशासनहीनता पैदा हो सकती है, जो बच्चों की पढ़ाई में बाधा डाल सकती है।	53.84	24.61	21.53	18.46	12.30	69.23
9	पाठ्यपुस्तकों से ही पाठ्यक्रम में निर्धारित कौशलों की प्राप्ति संभव है।	80.00	09.23	10.76	15.38	83.07	01.53
10	माध्यमिक स्तर पर शिक्षण और मूल्यांकन	80.00	16.92	3.076	01.53	83.07	01.53

11	पढ़ाए जाने वाले विषयों में अधिक अंक प्राप्त करने को ही उपलब्धि कहा जाना चाहिए।	52.30	24.61	23.07	15.38	66.15	18.46
12	शिक्षण के समय कुछ बच्चे पढ़ाए जा रहे पाठ/संबोध के बारे में आपस में गपशप करते रहते हैं। यह प्रवृत्ति रोकी जानी चाहिए।	61.53	16.92	21.53	26.15	66.15	7.692
13	वाद-विवाद, निबंध लेखन, नाटक, नृत्य आदि कार्यक्रमों का आयोजन विशेष अवसरों जैसे—स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि पर करना चाहिए। कक्षा—कक्ष में इन्हें स्थान देने की कोई आवश्यकता नहीं है।	64.61	26.15	9.230	60.00	15.38	24.61
14	यदि किसी विषय से संबंधित कोई अवधारणा बच्चे समझ नहीं पाते हैं तो उन्हें इससे संबंधित परिभाषा को याद करना एक अच्छी विधि है।	44.61	20.00	35.38	26.15	53.84	20.00
15	सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास संबंधी विषयवस्तु को रटना आवश्यक नहीं है।	26.15	47.69	26.15	44.61	18.46	36.92
16	विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी इन तीन विषयों में से केवल विज्ञान संबंधी अवधारणाएँ ही प्रयोगशाला के माध्यम से समझी जा सकती हैं।	58.46	23.07	18.46	30.76	67.69	1.538
17	कविता, कहानी, नाटक, पहली, निबंध आदि विधाओं का प्रयोग केवल भाषा संबंधी विषयों में ही किया जाना चाहिए।	50.76	18.46	30.76	61.53	23.07	15.38
18	किसी विषयवस्तु के शिक्षण में स्थानीय भाषा के शब्दों और स्थानीय परिवेश पर आधारित उदाहरणों का प्रयोग करने से राष्ट्रीय और वैशिक मुद्दों को समझने में कठिनाई का अनुभव होता है।	64.61	15.38	20.00	66.15	21.53	12.30
19	ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, वैज्ञानिक आदि से संबंधित स्थलों का भ्रमण मनोरंजन की दृष्टि से तो उपयोगी है किन्तु पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयवस्तु संबंधी किसी भी अवधारणा को समझने की दृष्टि से उपयोगी नहीं है।	29.23	36.92	33.84	27.69	23.07	49.23

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के शिक्षकों में शिक्षण—अधिगम प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पक्षों से संबंधित अभिवृत्ति में प्रशिक्षण से पूर्व और बाद की स्थितियों में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। अतः अध्ययन हेतु चयनित शून्य परिकल्पना निरस्त की जाती है। मूल्यांकन की अवधारणा, शिक्षण विधि, शिक्षण—अधिगम प्रक्रिया और अनुशासन, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, शिक्षण पद्धति और मानसिक विकास, रटन्त प्रणाली और शिक्षण जैसे शिक्षण के पक्षों के प्रति प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षार्थियों की अभिवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है।

निष्कर्ष

अध्ययन हेतु चयनित माध्यमिक स्तर के 65 शिक्षकों में शिक्षण—अधिगम प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पक्षों जैसे बालकेन्द्रित उपागम, मूल्यांकन की अवधारणा, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक, शिक्षण पद्धति और मानसिक विकास, रटन्त प्रणाली और शिक्षण से संबंधित अभिवृत्ति में प्रशिक्षण से सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण में स्थानीयता, पाठ्यसहगामी क्रियाकलाप और शिक्षण में भावी प्रशिक्षण हेतु आवश्यकता भी प्रकट होती है।

अध्ययन का शैक्षिक निहितार्थ

रेमर्स, रूमेल और गेज के शब्दों में अभिवृत्तियां अनुभवों के द्वारा व्यवस्थित वह संवेगात्मक प्रवृत्ति है जो मनोवैज्ञानिक पदार्थ या वस्तु के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है। किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षार्थियों के ज्ञान, अभिवृत्ति और कौशलों में सकारात्मक परिवर्तन लाना होता है। प्रस्तुत अध्ययन में प्रशिक्षण से प्रशिक्षार्थियों की अभिवृत्ति में आए परिवर्तनों को जानने का प्रयास किया गया है। अतः इस अध्ययन से संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता भी स्पष्ट हुई है। सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण में स्थानीयता और पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों से संबंधित अभिवृत्ति में प्रशिक्षण पूर्व और प्रशिक्षण के बाद की स्थिति में प्रशिक्षार्थियों की अभिवृत्ति में अपेक्षित सकारात्मक परिवर्तन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इन संबोधों को भविष्य में आयोजित प्रशिक्षण में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता भी सिद्ध होती है।

भविष्य में शोध हेतु सुझाव

1. यह अध्ययन उत्तराखण्ड के 13 जनपदों के माध्यमिक स्तर के 65 शिक्षकों पर किया गया है। यही अध्ययन अधिक न्यादर्श पर किया जा सकता है।
2. यह अध्ययन अधिक न्यादर्श पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों हेतु आयोजित प्रशिक्षण की प्रभावशीलता को जानने के लिए भी किया जा सकता है।
3. ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के शिक्षकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण की प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है।

संदर्भ

- वर्मा अर्चना कुमारी (2017) महाविद्यालयों में प्रशिक्षण का प्रशिक्षणार्थियों की अध्यापन अभिरुचि, अभिवृत्ति और अभिक्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, बियानी गर्ल्स बी. एड. जयपुर।
- ब्यास, जे. सी. (1981), शिक्षा प्रसार कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षित अध्यापकों की निष्पादन क्षमता की प्रभावशीलता का अध्ययन, एम. बी. बुच सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन (1988–1992) Volume I.
- मोहालिक, आर. के., (2007) अंग्रेजी में विद्यार्थियों की उपलब्धि और शिक्षण प्रभावशीलता पर सेवारत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का प्रभाव, इण्डियन एजुकेशन एब्सट्रैक्ट (जनवरी–जुलाई 2007) पेज 53–54।
- सोहनी, बी., (1977) शिक्षण अभ्यास एवं अध्यापक प्रभावशीलता का अध्ययन, एम.बी. बुच थर्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन।
- मासिन, चंचल, (1988), उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की शैक्षिक अभिवृत्ति और उनके शिक्षण की प्रभावशीलता का अध्ययन, एम. बी. बुच, सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, पेज 1459।
- शिक्षक–शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009, एन.सी.ई.आर.टी, अरबिन्द मार्ग, नई दिल्ली।
- विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, एन.सी.ई.आर.टी, अरबिन्द मार्ग, नई दिल्ली।

अहिंसा

“साधारणतः लोग सत्य माने ‘सत्यवादिता’ – सच बोलना, इतना ही स्थूल अर्थ लेते हैं। परंतु सत्य वाणी में ही सत्य के पालन का पूरा समावेश नहीं होता। ऐसे ही सामान्यतः लोग दूसरे जीवन को न मारना, इतना ही नहीं होता। ऐसे ही सामान्यतः लोग दूसरे जीव को न मारना, इतना ही अहिंसा का स्थूल अर्थ लगाते हैं, पर केवल प्राण न लेने से ही अंहिंसा पूरी नहीं होती।

अहिंसा आचरण का स्थूल नियम मात्र नहीं है, बल्कि मन की वर्षति है। जिस वर्षति में कहीं द्वेष की गंध तक न हो वह अहिंसा है।

ऐसी अहिंसा सत्य के बराबर ही व्यापक है। इस अहिंसा की सिद्धि हुए बिना सत्य की सिद्धि हो संभव नहीं है। इसलिए सत्य को भिन्न रीति से देखें, तो वह अहिंसा की पराकाष्ठा ही है। पूर्ण सत्य और पूर्ण अहिंसा में भेद नहीं हैं, फिर भी, समझाने के लिए, सत्य साध्य और अहिंसा साधन मान ली गई है।

ये—सत्य और अहिंसा—सिक्के की दो पीठों की भाँति एक ही सनातन वस्तु के दो पहलुओं के समान हैं।”

— महात्मा गांधी

शिक्षा का अधिकार : एक अध्ययन

— जोस कलापुरा
— आशुतोष विशाल

समाजिक बहिष्कार एक प्रक्रिया है जिसके तहत कुछ समूहों को उनकी गरीबी, निम्न शिक्षा अथवा उनकी पहचान के कारण हाशिए पर धकेल दिया जाता है और सामाजिक कार्यों में पूर्ण भागीदारी नहीं दी जाती है। एक व्यक्ति को सामाजिक रूप से तब बहिष्कृत माना जाता है जब वह समाज की प्रमुख गतिविधियों में शामिल नहीं होता। सामजिक बहिष्करण के विपरीत सामजिक समावेशण व सामजिक एकीकरण व्यक्ति और समूहों की समाज में सकारात्मक भागीदारी है।

यह लेख दलित बच्चों द्वारा स्कूलों में सामाजिक बहिष्करण को समझने का प्रयास करता है। लेख के प्रारंभ में सामाजिक बहिष्करण और दलित बहिष्करण को समझने का प्रयास किया गया है। उसके उपरान्त बिहार में दलित शिक्षा की स्थिति और शोध प्रणाली का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस अध्ययन का निष्कर्ष यह बताता है कि दलित बच्चे स्कूलों में तमाम प्रकार के भेदभाव अनुभव करते हैं। शिक्षकों और दूसरी जातियों के बच्चों द्वारा दलित बच्चों से भेदभाव किया जाता है। स्कूलों में उनके लिए अनुकूल वातावरण नहीं है और उन्हें शिक्षा में प्रोत्साहन नहीं मिलता। वे स्कूलों में जातिगत भेदभाव और रूढ़िबद्धता का शिकार होते हैं और परिणामस्वरूप उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है और वे नकारात्मक भावनाओं से ग्रासित होने लगते हैं।

सामाजिक बहिष्करण

सामाजिक बहिष्करण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस में गरीब और निम्न वर्ग को लोगों के लिए किया गया। सामाजिक विज्ञान के साहित्य में इसे विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया गया है। रुम (Room, 1995) द्वारा इसे समूह का समाज से संधि-विच्छेद अथवा अलगाव समझा जा सकता है जो पाँच प्रकार के होते हैं: बहुआयामी, गतिशील, सामुहिक, संबंधपरक और विपत्तिपूर्ण। अक्निओज (Atkinos, 1998) के अनुसार सामाजिक बहिष्कार के तीन मुख्य तत्व हैं: सापेक्षता, एजेंसी और गतिशीलता। कबीर (Kabir, 2006:3) के अनुसार सामाजिक बहिष्करण के केन्द्र में किसी समूह की सामाजिक पहचान होती है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्तरों पर उस समूह का नुकसान और भेदभाव होता है।

एक सामान्य परिभाषा और समझ जो विभिन्न परिभाषाओं से निकल कर आता है उसके अनुसार सामाजिक बहिष्करण सिर्फ गरीबी और भौतिक संसाधनों की कमी नहीं अपितु यह एक प्रक्रिया है जिसमें गरीबी, संसाधनों की कमी, समूह की समाज में श्रेणी और पहचान तथा

अन्य संबोधित कारक सम्मिलित हैं जिसकी वजह से व्यक्ति अथवा कोई समूह समाज के हाशिये पर चला जाता है। यह प्रक्रिया बहुआयामी, गतिशील, सामाजिक, भौतिक और राजनीतिक है।

ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो हिन्दू समाज में दलित सामाजिक वर्गीकरण में सबसे नीची श्रेणी में आते हैं। उन्हें अछूत समझा जाता है और शिक्षा, आजीविका आदि से दूर रखा जाता है। माईकल (Michael, 2007:16) के अनुसार अछूत होने का मतलब सामाजिक व्यवस्था में निम्न स्थान और विभिन्न प्रकार से बहिकृत होता है। दलित आबादी भारतीय समाज के पूर्ण जनसंख्या का लगभग 16 प्रतिशत है। सदियों के सामाजिक बहिष्करण के कारण दलित आज भी समाज के हाशिये पर हैं। उन्हें 'बाहरी जातियाँ' (J.H. Hutton), 'वंचित वर्ग' (अंग्रेज पदाधिकारियों), 'बहिष्कृत आवारा' (Pariahs) और 'हरिजन' (गाँधी, सर्वप्रथम नरसिंह मेहता) के नाम से पहले संबोधित किया जाता था (ibid)!

स्कूलों में दलित बहिष्करण

सार्वभौमिक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के बावजूद वित्तीय संसाधन की शिक्षा प्राप्त करने में मुख्य भूमिका है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता निराशाजनक है और कुछ दशकों से निजी स्कूली शिक्षा का विस्तार बहुत तेज़ी से हुआ है। दूसरा, जीवन में उत्कृष्ट विकास के लिए सामाजिक पूँजी की आवश्यकता होती है। पियर बोर्दयू (Pierre Bourdieu) के अनुसार सामाजिक पूँजी सामाजिक प्रथाओं और प्रतीकों और अर्थों के सामाजिक प्रजनन को दर्शाता है (Moore, 2012)। दूसरे शब्दों में सामाजिक वर्गों में मौजूद अनुभवों, स्वभाव और संसाधनों को दर्शाता है जो उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। जैसे उच्च जातियों में वर्षों से शिक्षा प्राप्त करने की परंपरा और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी पेशा करने के अनुभव विकसित होते रहे हैं। यहाँ तक कि उच्च जाति से आने वाले गरीब लोगों में भी सामाजिक और सांस्कृष्टिक पूँजी विद्यमान होती है। उनके रिश्तेदार, संबंधी, दोस्त आदि शिक्षित और नौकरी में रहते हैं। इस प्रकार बचपन से ही उन्हें सहायता और प्रोत्साहन मिलता है जो जीवन में उन्हें अच्छी शिक्षा, नौकरी और सफलता में सहयोग देते रहते हैं। सामाजिक संबंध और सहयोग उनमें आत्मविश्वास पैदा करता है (Poras, 2011)।

दलित बच्चों के लिए स्कूलों में अनुकूल वातावरण नहीं होता है और उन्हें विभिन्न प्रकार के जातीय भेदभाव और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। स्कूलों के अलावा आस-पड़ोस, विभिन्न जातियों के लोगों का उनसे और उनके परिवार से संबंध और बर्ताव, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति, हमउम्र बच्चों से संबंध आदि, दलित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में अवरोध उत्पन्न करते हैं (दलित बहिष्करण: एक रिपोर्ट, 2007–08)।

गरीबी और सामाजिक असमानता ने शिक्षा के अवसरों को दलित बच्चों के लिए संकीर्ण किया है। विभिन्न शोधों से पता चलता है कि अस्पृश्यता और भेदभाव दलित बच्चों के शिक्षा प्राप्ति और सफलता के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। जातिगत भेदभाव बच्चों की असफलता और dropout के प्रमुख कारण हैं। बरुआ, सबरवाल, दिवाकर, मिश्रा और नायक 2015, भट्टाचार्य 2013, रामकृष्ण और रमनमूर्ति 2013 आदि द्वारा किया गया अध्ययन प्रमाणित करता है कि हमारे स्कूलों में जातिगत भेदभाव और बहिष्करण विद्यामान है। दलित बच्चे विभिन्न सुविधाओं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पानी के नल व चापाकल का प्रयोग आदि। वे कक्षा में अलग व पीछे बैठते हैं, उन्हें सफाई के काम लगाया जाता है, उन्हें जातिगत नाम से बुलाया जाता है और अभद्र शब्दों का उपयोग और नामंकरण किया जाता है। वे कक्षा में भागीदारी नहीं कर पाते। सामान्य जाति के बच्चों को अछूत समझा जाता है और उन्हें हमेशा सभी गतिविधियों से अलग रखा जाता है। शिक्षक भी दलित बच्चों के लिए संवेदनशील नहीं होते और वे भेदभाव करने में लिप्त होते हैं। उन्हें दंडित किया जाता है और डॉटा जाता है। कई बार उन्हें अलग कार्मों में लगाया जाता है, जैसे कि मरे जानवरों, पक्षियों को फेंकना, स्कूल और शौचालयों की सफाई व पान – सिगरेट लाना आदि।

दलित बच्चों की शिक्षा इससे प्रभावित होती है और वे ज्ञान अर्जन नहीं कर पाते और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। शिक्षक उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते अर्थात् वे मानते हैं कि दलित बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। बच्चों से अच्छा उम्मीद न रखना भी बच्चों की असफलता का प्रमुख कारण है। इसे पीगमैलियन इफैक्ट (Pigmalion effect) कहते हैं यानि जब किसी से आप बहुत अपेक्षा करते हैं तो उस व्यक्ति का प्रदर्शन भी उसी अनुरूप होता है। भेदभाव और बहिष्करण को सर्वशिक्षा अभियान और टोटल अभियान के तहत तीन प्रकार से वर्णित किया गया है : (क) शिक्षक द्वारा बहिष्करण (ख) पीचर समूहों द्वारा बहिष्करण और (ग) ढाँचागत बहिष्करण (Mangubhai, 2013:4)।

बिहार में दलित साक्षरता

बिहार में 23 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है (GOI, 2001)। सन् 2005–06 से शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने प्रगति की है। सन् 2001 से 2011 में साक्षरता दर में अच्छी वृद्धि दर्ज की है – 2001 में साक्षरता दर 47.2 प्रतिशत था, 2011 की जनगणना के अनुसार यह 63.8 प्रतिशत है। गौर करने वाली बात यह है कि 16.6 प्रतिशत की यह वृद्धि 1961 के बाद बिहार के साक्षरता दर में हुई सबसे ज्यादा वृद्धि है और 2001–11 के बीच देश में यह वृद्धि दर सबसे अधिक है। इसके बावजूद बिहार देश के साक्षरता दर में सबसे नीचे के पायदान पर है। 1951 में बिहार की साक्षरता 13.49 प्रतिशत थी। 1961 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय साक्षरता दर और बिहार के साक्षरता दर में सिर्फ 49 प्रतिशत का अंतर था। यह अंतर 2001 तक 17.8 प्रतिशत हो गया था।

2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता 73 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 64.6 प्रतिशत है। देश में साक्षरता के क्षेत्र में लिंग असमानता में कमी आ रही है। बिहार में लिंग असमानता 2001 में 26.3 प्रतिशत था, सन् 2011 में यह घटकर 19.7 प्रतिशत हो गया है (Table 1) बिहार सभी राज्यों की तुलना में सबसे तेज़ी में लिंग असमानता को कम करने में सफल रहा है।

तालिका — 1

भारत और बिहार में साक्षरता एवं लिंग असमानता (1951–2011)
[Literacy rates and Gender Gap in India and Bihar (1951-2011)]

	India			Bihar			India	Bihar
	Male	Female	Persons	Male	Female	Persons	Gender Gap	Gender Gap
1951	27.16	8.86	18.33				18.3	
1961	40.4	15.3	28.3	37.9	8.7	23.4	25.1	29.2
1971	46	22	34.5	38.3	10.7	24.9	24	27.6
1981	56.4	29.8	43.6	46.8	16.6	32.3	26.6	30.2
1991	64.1	39.3	52.2	51.2	22	37.5	24.8	29.2
2001	75.9	54.2	65.4	59.7	33.4	47.2	21.7	26.3
2011	80.9	64.6	73	71.2	51.5	61.8	16.3	19.7

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य जोर सदा से ही स्कूल में नामांकन पर रहा है। सभी बच्चों को स्कूल कैसे लाए इस दिशा में केन्द्र सरकार व राज्य सरकारें वर्षों से प्रयास करती रही हैं। आंकड़े यह बताते हैं कि मुख्यतः वंचित समाज, जैसे की दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और लड़कियों की शिक्षा में भागीदारी कम रही है। अतः इन वर्गों को स्कूल में प्रवेश कैसे मिले इस पर विशेष जोर दिया जाता रहा है।

बिहार में स्कूलों में नामांकन विशेषकर प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्तर पर काफी सुधार हुआ है। 2009–10 से 2013–14 में प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्तर में नामांकन की स्थिति को टेबल 2 में नीचे दर्शाया गया है। इस अवधि में प्राथमिक स्तर में नामांकन में वार्षिक वृद्धि दर 3.4 प्रतिशत दर्ज किया गया। वर्ष 2011–12 में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 161.2 लाख था जो 2009–10 में 139 लाख था। पिछले चार वर्षों में वार्षिक वृद्धि उच्च प्राथमिक स्तर पर भी की गई है। नामांकन में वृद्धि का मुख्य कारण सरकार द्वारा बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करना और भौतिक स्तर पर स्कूल व्यवस्था में व्यापक सुधार करना है। नए स्कूलों को खोलना, शिक्षकों की भर्ती, मिड डे मील, छात्रवृत्ति, पोशाक, आदि से स्कूल में दाखिले के लिए माहौल बना है।

तालिका — 2

बिहार में कुल नामांकन (लाख में)

Primary							
Level & Type of Students		2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	CAGR
Boys	Total	77.56	80.56	82.29	79.74	83.34	1.3
	SC	13.68	15.23	16.1	14.5	15.81	2.4
Girls	Total	61.52	68.57	74.21	74.77	77.86	5.7
	SC	9.85	12.17	13.29	13.21	14.47	8.9
All	Total	139.08	149.34	156.50	154.51	161.2	3.4
	SC	23.54	27.4	29.39	27.71	30.29	5.3
Upper Primary							
Boys	Total	23.42	26.65	27.04	31.34	33.66	9.3
	SC	3.24	3.82	4.26	4.81	5.59	14.1
Girls	Total	17.85	22.14	23.51	29.02	31.75	15.3
	SC	2.09	2.78	3.37	4.23	5.11	24.7
All	Total	41.27	48.8	50.55	60.36	65.41	12
	SC	5.33	6.61	7.63	9.04	10.71	18.6

CAGR – Compound Annual Growth Rate

लड़कियों के नामांकन में हुई बढ़त सन् 2005–10 से 2013–14 के दौरान 5.7 प्रतिशत था, इसी दौरान लड़कों के नामांकन में मात्र 1.3 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। दलित लड़कों और लड़कियों में क्रमशः 2.4 प्रतिशत एवम् 8.9 प्रतिशत बढ़त दर्ज किया गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल बढ़त 12 प्रतिशत दर्ज किया गया और दलित बच्चों के लिए 18.6 प्रतिशत दर्ज किया गया। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर नामांकन दर कम है जिसका प्रमुख कारण स्कूल छोड़ना, स्कूल का दूर होना, आर्थिक मजबूरी आदि है। हालांकि पूर्ण शिक्षा की माँग बढ़ रही है। स्कूल की शिक्षा पूरी करने और उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर अच्छी नौकरी और भविष्य की संभावना अभिभावक और बच्चों को शिक्षा पूर्ण करने के लिए प्रेरित करेगी।

दलित बच्चों में शिक्षा बीच में छोड़ देने की प्रवृत्ति अधिक है। प्राथमिक स्तर पर वे नामांकन कराते हैं किन्तु माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने का दर उनमें

अधिक हो जाता है। 2013 में प्राथमिक स्तर पर सामान्य बच्चों के लिए यह दर 29.11 प्रतिशत था और दलित बच्चों के लिए 23.16 प्रतिशत था, वहीं उच्च प्राथमिक स्तर पर यह सामान्य बच्चों से ज्यादा 48.9 प्रतिशत हो गया और माध्यमिक स्तर पर 67.7 प्रतिशत हो गया।

तालिका — 3

Year	Girl	Boys	Total	SC Girls	SC Boys	SC Total
Primary						
2009-10	41	43.5	42.5	49.7	50.9	50.4
2010-11	35.3	42.13	39.27	35.9	40.9	38.8
2011-12	30.74	38.01	31.68	24.3	36.25	31.15
2012-13	26.27	36.01	31.68	24.3	36.25	31.15
2013-14	23.57	33.63	29.11	13.32	30.36	23.16
Upper Primary						
2009-10	56.7	60.2	58.8	69.8	72.7	71.6
2010-11	51.31	57.87	55.14	63.8	68.2	66.5
2011-12	51.07	58.61	55.48	60.45	67.22	64.56
2012-13	38.68	52.41	46.67	48.99	61.42	56.45
2013-14	38.46	52.39	46.54	40.46	54.74	48.93
Secondary						
2009-10	67	69.9	68.8	80.7	81.4	81.1
2010-11	58.85	64.38	62.24	76.8	78	77.6
2011-12	62.71	66.87	65.18	72.65	75.86	74.65
2012-13	59.51	65.15	62.8	65.05	70.57	68.44
2013-14	57.61	64.75	61.78	64.32	69.84	67.67

विभिन्न दलित जातियों में साक्षरता

दलित समुदाय में विभिन्न जातियों में साक्षरता स्तर भिन्न है। सबसे ज्यादा साक्षरता धोबी में (पुरुष 43.9 प्रतिशत एवं महिला 27.9 प्रतिशत) है और मुसहर में साक्षरता दर सबसे कम (पुरुष 9 प्रतिशत एवम् 3.9 प्रतिशत) है।

तालिका — 4

[Literacy rate among major Dalit communities: Percentage of their Population]

Major Dalit sub-castes	Literacy rate	Female literacy rate
All SCs in Bihar	28.5	15.6
Dhobi	43.9	27.9
Pasi	40.6	25.3
Dusadh	33.0	18.5
Chamar	32.1	16.8
Bhuiya	13.3	6.5
Musahar	9.0	3.9

Source: GOI, 2001, p.2

दलित जातियों में शिक्षा के विभिन्न स्तर को तालिका 5 में दर्शाया गया है।

तालिका — 5

[Levels of education among major Scheduled Castes: Percentage of their Population]

Name of SCs	Literate with out education	Below primary	Primary	Middle	Educational levels attained	Technical and non-techninal diploma, etc.	Graduate and above
All SC	6.6	33.1	28.4	13.1	15.1	0.1	3.6
Bhuiya	15.3	44.1	26.5	7.4	6	Nil	0.6
	5.9	33.6	28.5	13.4	15	0.1	3.5
Dhobi	4.5	28.3	27	14.9	19.7	0.2	5.4
Dusadh	6	32	28.5	13.7	16.1	0.1	3.5
Musahar	15.3	44	27.8	6.7	5.5	Nil	0.8
Pasi	5.7	30	27.1	13.4	17.9	0.2	5.6

Source: GOI, 2001

दलित जातियों के स्कूल जाने योग्य बच्चों का प्रतिशत तालिका 6 में दर्शाया गया है।

तालिका — 6

Age Group	All SCs	Chamar	Dusadh	Musahar	Pasi	Dhobi	bhuiya
5-14 years	29.4	33.7	34.1	9.8	39.4	45.6	15.1

Source: GOI, 2001, p.3

विभिन्न जातियों में शिक्षा का स्तर, साक्षरता और बच्चों का स्कूलों में नामंकन मिन्न है। पिछले कुछ वर्षों में हुए दाखिले में स्पष्ट सुधार दिखता है अपितु स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी एक गंभीर विषय है। यह अध्ययन दलित बच्चों के शिक्षा की स्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता और भेदभाव एवं उसके परिणाम को समझने का प्रयास करता है। यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि दलित बच्चों की शिक्षा की स्थिति बेहद गंभीर है (Kantha, 2009: 14-23; Economic Exploitation of weaker sections: Report 2008-09)।

शोधक्रिया विधि

यह अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में कुछ दलित समुदायों की वास्तविक स्थिति को चित्रित करता है और दर्शाता है कि भागीदारी से वंचित यह समुदाय विकास में पीछे है। ढाँचागत व्यवस्था उनके सशक्तीकरण में अवरोध उत्पन्न करता है। यह अध्ययन पाँच जिलों में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। वर्ष 2013–14 में पटना, रोहतास, बेगुसराय, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में पूर्व परीक्षित प्रश्नावली पर यह सर्वेक्षण किया गया। जिलों का चयन उच्च दलित जनसंख्या प्रतिशत एवम् भाषा एवम् प्रान्तीय आधार पर यादृच्छिक (random) चयन पद्धति पर आधारित था। ऊपर वर्णित जिलों में से एक—एक ब्लॉक को चुना गया जो क्रमशः मानेर, सासाराम, बकरी, मीनापुर और बहादुरपुर थे। इन ब्लॉकों में दो ग्राम पंचायतों का चयन किया गया था। Random चयन पद्धति से ग्राम पंचायत में परिवार एवं बच्चों को चुना गया तथा हितधारकों, समाज के प्रतिनिधियों आदि के मध्य समूह चर्चा का आयोजन किया गया (Kalapura, 2017)।

नमूना

अध्ययन के लिए प्राथमिक आंकड़े एक अच्छी तरह से तैयार किए गए प्रश्नावली पर आधारित साक्षात्कर के माध्यम से एकत्र किए गए। प्रश्नावली में ओपन एंडेड और बंद प्रश्न शामिल थे। नमूना का आकार 1488 परिवार था जिनमें 299 (20.3 प्रतिशत) पटना, 293 (19.

7 प्रतिशत) रोहतास, 295 (19.8 प्रतिशत) बेगुसराय, 306 (20.6 प्रतिशत) मुजफ्फरपुर और 295 (19.8 प्रतिशत) दरभंगा का था। दलित जातियों का नमूना क्रमशः 532 (35.8 प्रतिशत) चमार, 398 (26.7 प्रतिशत) मुसहर, 280 (18.8 प्रतिशत) दुसाध, 81 (5.4 प्रतिशत) धोबी, 59 (4 प्रतिशत) तुरी, 55 (3.7 प्रतिशत) पासी था। कुल (727) 48.9 प्रतिशत पुरुष और (761) 51.1 प्रतिशत महिलाओं के साथ यह साक्षात्कार पूरा किया गया।

परिवार के साक्षात्कार के अलावा 1,010 बच्चों का साक्षात्कार किया गया। इनमें से 184 पटना, 197 बेगुसराय, 199 रोहतास, 234 मुजफ्फरपुर और 196 दरभंगा से थे। जातिगत विवरण के अनुसार 396 (39.2 प्रतिशत) चमार, 288 (28.5 प्रतिशत) दुसाध, 166 (16.4 प्रतिशत) मुसहर, 49 (4.9 प्रतिशत) धोबी, 50 (5 प्रतिशत) पासी, और 23 (2.3 प्रतिशत) तुरी थे। अन्य जातियों के बच्चों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। इनमें नट 19, डोम 6, रजवार 5, भूईया 5 और मेहतर 3 थे। साक्षात्कार के लिए चुनी गई संख्या बिहार में दलित जातियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। चमार जाति की जनसंख्या सबसे अधिक, दुसाध, मुसहर, धोबी और पासी क्रमशः आते हैं।

सर्वेक्षण में शामिल बच्चों के माता-पिता की औसत आयु 26–45 साल के बीच थी। 37.1 प्रतिशत माता पिता 26–35 साल के बीच के थे और 32.6 प्रतिशत अभिभावक 36–45 साल के बीच के थे। 12.4 प्रतिशत माता पिता 46–55 साल के बीच और 10.1 प्रतिशत 18–25 साल के बीच के थे। आयु के अनुसार बच्चों की भागीदारी इस प्रकार थी – 10 साल के बच्चे (1 प्रतिशत), 8 के नीचे 84 (8.3 प्रतिशत), 9–10 साल के बीच के 238 (23.6 प्रतिशत), 11–12 साल के बीच के 400 (39.6 प्रतिशत), 13–14 साल के बीच के 199 (19.7) प्रतिशत और 15–16 साल के 65 (6.4 प्रतिशत), 17–18 साल के बीच के 14 (1.4 प्रतिशत), और शेष 19 साल और उसके ऊपर के थे। बच्चों में 980 (97.8 प्रतिशत) हिन्दू थे, 23 (2.3 प्रतिशत) मुसलमान, 6 (0.6 प्रतिशत) ईसाई और 1 (0.1 प्रतिशत) बौद्ध थे। कुल 154 बच्चे (15.2 प्रतिशत) प्राथमिक स्कूल में नामांकित थे, 569 (56.3 प्रतिशत) माध्यमिक स्कूल में नामांकित थे, 244 (24.2 प्रतिशत) उच्च स्कूल में थे और 43 (4.3 प्रतिशत) उच्च माध्यमिक स्कूल में थे।

निष्कर्ष और विश्लेषण: शिक्षा में दलित बहिष्कार

इस अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष और विश्लेषण (Kalapur, 2016: 7067-7082) इस प्रकार है:

1. दलित परिवारों की शैक्षिक स्थिति

यह ज्ञात हुआ कि अधिकांश बच्चों के माता-पिता निरक्षर थे। कुल 1011 पुरुष (67.9 प्रतिशत) और 1215 महिलाएं (81.7 प्रतिशत) पढ़ लिख नहीं सकते थीं। 1421 (96 प्रतिशत) पुरुष और 1465 (99 प्रतिशत) महिलाएं स्कूल की पढ़ाई नहीं कर सकी थी। 234 (15.7

प्रतिशत) माता—पिता पढ़ लिख सकते थे लेकिन वे स्कूल नहीं गए थे। सिर्फ 22 (1.5 प्रतिशत) पुरुष उच्च माध्यमिक स्कूल पास कर पाये थे और 12 (0.8 प्रतिशत) पुरुष स्नातक तक शिक्षित थे। महिला की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। यहां कुल मिलाकर 184 (12.4) महिलाएं साक्षर थीं किन्तु स्कूल नहीं गई थीं अर्थात् औपचारिक शिक्षा से बंचित रहीं।

2. स्कूल में दलित बच्चों के साथ व्यवहार

यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि दलित बच्चे और अन्य जातियों के बच्चे कक्षा में साथ—साथ बैठते हैं। मिड डे मील के समय भी बच्चे साथ—साथ भोजन करते हैं किन्तु उनकी संख्या कम होती है। 981 (97.1 प्रतिशत) बच्चों ने कहा कि वे कक्षा में अन्य जाति के बच्चों के साथ बैठते हैं। सिर्फ 29 (2.9 प्रतिशत) बच्चों ने इस बात से इन्कार किया। दोपहर में भोजन के दौरान 113 (11.2 प्रतिशत) दलित बच्चों ने स्वीकार किया कि वे एक साथ भोजन करते हैं। अतिरिक्त गतिविधियों में क्या वे अन्य जाति के बच्चों के बराबर हिस्सा लेते हैं या उन्हें अवसर प्रदान किया जाता है, के प्रश्न पर 835 (82.7 प्रतिशत) बच्चों ने पुष्टि हाँ में की; जबकि 147 (14.6 प्रतिशत) ने कहा उन्हें समान अवसर नहीं मिलता।

सर्वेक्षण में 1010 बच्चों में से 741 (73.4 प्रतिशत) बच्चों ने महसूस किया कि बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है जबबि 180 (17.8 प्रतिशत) ने महसूस किया कि दलित बच्चों को दूसरे बच्चों के बराबर नहीं समझा जाता। 826 (81.8 प्रतिशत) बच्चों ने कहा कि दूसरे बच्चे उनका सम्मान करते हैं लेकिन 100 (9.9 प्रतिशत) इस बात से इन्कार करते हैं। 323 (32 प्रतिशत) बच्चों ने पुष्टि की कि उनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ है। इस अध्ययन से स्पष्ट है कि स्कूल व्यवस्था जातिगत भेदभाव और पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं है।

3. शिक्षक—छात्र संबंध

शिक्षकों की भी जाति होती है और उनकी सामाजिक पष्ठभूमि भी आमूमन अलग होती है। अध्ययन से पता चलता है कि वे जातिगत पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं। विभिन्न अध्ययनों ने इस बात को प्रमाणिक रूप से स्वीकारा है कि शिक्षक दलित बच्चों के प्रति असंवेदनशील और नकारात्मक सोच रखते हैं। वे खानापूर्ति के लिए उन्हें पढ़ाते हैं। वे दलित बच्चों को जातिगत नाम से, अपमानजनक शब्दों से बुलाते हैं। वे दलित बच्चों को प्रोत्साहित भी नहीं करते हैं और निम्न श्रेणी के घणित कार्यों में उन्हें संलिप्त भी करते हैं जैसे शौचालय, कक्षा—स्कूल की सफाई, मरे हुए पक्षी व जानवरों को स्कूल से बाहर फेंकना आदि। उन्हें बार—बार दंडित भी किया जाता है। कई ऐसे घटनाएं भी होती हैं जिसे अत्याचार और शोषण के अन्तर्गत रखा जा सकता है (NCDHR, 2007; Navarsarjan Trust and RFK Centre for Justice and Human Rights, 2010)।

हमारे अध्ययन से पता चलता है कि दलित बच्चों को स्कूल में भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। 107 (10.7 प्रतिशत) ने कहा कि शिक्षक उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। 828 (82 प्रतिशत) बच्चे मानते हैं कि शिक्षकों का व्यवहार ठीक है। 80 प्रतिशत बच्चे यह मानते हैं कि शिक्षक उनका सम्मान करते हैं हालांकि 12.4 प्रतिशत बच्चों ने इससे इन्कार किया। 754 (74.7 प्रतिशत) बच्चों ने माना कि शिक्षक उन्हें प्रोत्साहित करते हैं जबकि 171 (16.9 प्रतिशत) बच्चों ने कहा कि पढ़ाई में शिक्षक मदद नहीं करते।

4. रुद्धिबद्ध और कलंकित

इसी तरह से गाँव का वातावरण, जातीय वर्गीकरण तथा समाज का पूर्वाग्रह और भेदभाव आदि बच्चों की शिक्षा को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। बहुत सारे बच्चे स्वयं में आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। 391 (38.7 प्रतिशत) बच्चों ने माना कि वे हमेशा आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। हमारे अध्ययन में यह स्पष्ट पता चलता है कि जातिगत और वर्ग विभेद बच्चों के मनोविज्ञान को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। हीन भावना, अकेलापन, शक्तिहीन आदि भावनाएं पूरे स्कूली जीवन और उसके बाद के जीवन को प्रभावित करती रहती हैं। समाज में स्टीरीयोटाईप और मूल्यांकन व्यापक रूप से ज्ञात होता है (Major & Eccleston, 2004)।

5. समाजिक बहिष्कार का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव

समाजिक बहिष्कार का व्यक्ति और समूह पर व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। समाजिक बहिष्कार के फलस्वरूप उनके स्वास्थ्य खराब रह सकता है, शिक्षा में असफल या उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, असामाजिक कार्यों व आपराधिक मामलों में संलिप्त हो सकते हैं और दूसरे कई तरह के नकारात्मक प्रभाव में आ सकते हैं। बहिष्कृत व्यक्ति जैसे की दलित मनोवैज्ञानिक रूप से अस्वस्थ, कमजोर और अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। कुछ बच्चे अपने आप को समाज से काट लेते हैं या सबसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। उन्हें जहाँ भी बाह्यकरण की संभावना दिखती है उससे वे बिलकुल अलग हट जाते हैं (Buhs, Ladd & Herald, 2006)। दलित बच्चे स्कूल में बहिष्करण अनुभव करने पर स्कूल छोड़ देते हैं। बहिष्करण की वजह से दलित बच्चों की शिक्षा और भविष्य अत्यधिक प्रभावित होता है।

निष्कर्ष और सिफारिशें

राष्ट्रीय स्तर पर दलित और गैर दलित समूह में शिक्षा का अंतर बड़ा है। बिहार में दलित की शैक्षणिक स्थिति बदतर है। हाल के कुछ वर्षों में दलित लड़कियों का प्राथमिक स्कूल में नामांकन लड़कों से बेहतर रहा है। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर दलित बच्चों और गैर दलित बच्चों के नामांकन में भारी अंतर हो जाता है। सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है जिससे नामांकन स्तर पर कुछ फायदा दिख रहा है अपितु आवश्यकता और

बजटीय आवंटन में काफी अंतर है। आवंटित बजट का ठीक से उपयोग नहीं हो पाता है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पूँजी से वंचित दलित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्कूल में, गिरती गुणवत्ता की वजह से उच्च जाति व वर्ग के बच्चे निजी स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं और सरकारी स्कूल दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए सीमित हो गए हैं। दलित बच्चों के शैक्षणिक विकास में विभिन्न कारक बाधक हैं। इन सबका उनके शिक्षा में प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं पर बुरा असर पड़ता है। उनमें आत्मविश्वास की कमी, हीन-भावना, अवसाद और शिक्षा के प्रति अरुचि उत्पन्न होता है और वे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं व परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं।

यह अध्ययन दलित बच्चों में शिक्षा के स्तर को सुधारने और भेदभाव रहित स्कूल व्यवस्था बनाने के लिए निम्नलिखित सिफारिशों करता है:-

- बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने पर प्राथमिक जोर देना और ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जिससे गैर-दलित व दलित बच्चों में सौहार्द और मैत्री भाव का विकास हो।
- शिक्षकों को प्रशिक्षित करना कि वे किस तरह वंचित समुदाय के बच्चों के साथ व्यवहार करे और पढ़ाई में सहयोग करें। उन्हें इन बच्चों के अभिभावकों से अच्छे संबंध स्थापित करना होगा जिससे वे बच्चों के पढ़ाई और विकास पर ध्यान रख सकें और एक दूसरे का सहयोग कर सकें।
- कक्षा और स्कूल में समावेशी वातावरण बनाने के लिए विभिन्न तरीकों को आजमाने की जरूरत है। विभिन्न कार्यों में संलग्न करना होगा। इससे जाति, धर्म व लैंगिक दूरी को ख़त्म किया जा सके।
- दलित बच्चों को दूसरे बच्चों की तरह समान दर्जा देना होगा और सम्मान देना होगा। उनके परिवार और सामाजिक व सांस्कृतिक विभेद को समान महत्व देना चाहिए।

नोट:- यह लेख जेवियर इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च और डॉ. मार्टिन पोरस के सहयोग से 2013–2015 के मध्य विस्तृत सर्वेक्षण पर आधारित है।

References

1. Atkinson, A.B. (1998). Social Exclusion, Poverty and Unemployment. In J. Hills (Ed.) *Exclusion, Employment and Opportunity* (pp. 1-20). London: Centre for Analysis of Social Exclusion (CASE), London School of Economics and Political Science. Retrieved from <http://eesticerd.lse.ac.ukedpsecaseecpePaper4.pdf>.
2. Bhattacharjee, S. (2013). Deprivation and Social Exclusion of the Dalits: An Anthropological Observation. In S. Bhattacharjee (Ed), *Social Economic and*

- Political Exclusion of Scheduled Castes & Scheduled Tribes* (pp.332-352). Delhi: Manglam.
3. Boroohah, V.K. Sabharwal, N.S. Diwakar, D.G., Mishra, V.K., & Naik, A.K. (Eds.) (2015). *Caste, Discrimination, and Exclusion in Modern India*. New Delhi: Sage.
 4. Buhs, E.S., Ladd, G.W., & Herald, S.L. (2006). Peer Exclusion and Victimization: Processes that Mediate the Relation between Peer Group Rejection and Children's Classroom Engagement and Achievement? *Journal of Educational Psychology*, 98(I), 1-13. Doi:<http://edex.doi.org/10.1037/e0022-0663.98.1.1-Hill>.
 5. Crocker, J., Major, B., & Steele, C.M. (1998). Social Stigma. In D. Gilbert, S. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), *Handbook of Social Psychology*, vol. vol.2 (pp. 504-553). Boston, MA: McGraw-Hills
 6. दलित बहिष्करण: एक रपट 2007—2008, पटना: सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशी नीति अध्ययन केन्द्र, पटना विश्वविद्यालय।
 7. Economic Survey (2016), Government of Bihar, Patna.
 8. Educational Statistics at a Glance (2016), Government of Bihar, Patna.
 9. Government of India (2001). Bihar Data Highlights: The Scheduled Castes. Census of India 2001. Office of the Registrar General, Government of India. Retrieved from http://censusindia.gov.in/Tables_Published/SCSTech_sc_bihar.pdf
 10. Kabeer, N. (2006). Social Exclusion and the MDGs: The Challenge of Durable Inequalities' in the Asian Context. Promoting Growth, Ending Poverty-Asia 2015. International Conference conducted by Institute of Development Studies and Overseas Development Institute. Retrieved from <http://www.eldis.org/fileupload/documents/0708Edoc21178.pdf>
 11. Kalapura, Jose (2016). "Dalit Experience of Exclusion with Special Reference to Education in Bihar," *Jharkhand Journal of Development and Management Studies*, Vol. 14, Nos. 3 & 4, pp. 7067-7082.
 12. Kantha, Vinay K. (2009), Exclusion in Education: *A Preliminary Enquiry into Elementary Education of Dalit Children In Bihar*, Patna Centre for Study of Social Exclusion & Inclusive Policy, Patna University , pp. 14-23.
 13. Major, B., & Eccleston, C.P. (2004). Stigma and Social Exclusion. In D. Abrams, J. Marques, & M.A. Hogg (Eds.), *Social Psychology of Inclusion and Exclusion* (pp. 63-87). New York: Psychology Press.
 14. Mangubhai, J.P. (2013). *25% is our right: Examining SCeST Exclusion Through Budgets in School Education*. New Delhi: Centre for Social Equity and Inclusion & Swadhisthan. Retrieved from <http://www.slideshare.net>
 15. Michael S.M. (2007). Introduction. In S.M. Michael (Ed), *Dalits in Modern India: Vision and Values* (2nd Ed.) (pp. 13-41). New Delhi: Sage Publications.
 16. Moore, R. (2012) Capital. In M. Grenfell (Ed.) *PieUke Bourdien, key Concepts* (pp.98-113). New Delhi: Acumen Publishing and Rawat Publications.
 17. Navsarjan Trust and RFK Centre for Justice and Human Rights. (2010). *Understanding Untouchability: A Comprehensive Study of Practices and Conditions in 1589 Villages*. Ahmedabad, Gujarat. Retrieved from http://navsarjan.org/Documents/Untouchability_Report_FINAL_Complete.pdf
 18. NCDHR. (2007). *Realising Dalit Children's Right to Education*. New Delhi: National Campaign on Dalit Human Rights.
 19. Poras, Martin. S. (2011). *A Study on Social Capital and Participation in Rural Governance of the Dalit Communities in three Districts of Bihar*. Unpublished Ph. D Thesis, Department of Social Work, University of Madras, Chennai.

-
20. Rama Krishna, V.S., & Ramana Murty, K.V. (2013). Educational Inclusion of SCs and STs in India. In S. Bhattacharjee (Ed), *Social, Economic and Political Exclusion of Scheduled Castes & Scheduled Tribes* (pp. 116-131). Delhi: Manglam.
 21. *Report on Economic Exclusion of Weaker Sections of Society with Special Reference to Bihar 2008-2009*, Patna: Centre for Study of Social Exclusion & Inclusive Policy, Patna University, 2008
 22. Room, G. (1995). Beyond the Threshold: *The Measurement and Analysis of Social Exclusion*. Bristol: Polity Press.

जिस समाज में बेटियों को दुनिया में आने का हक न मिले, वहां उनके दूसरे मानवीय अधिकारों की बात करना बेमानी है। अफसोस कि बेटे-बेटी के फर्क की बदौलत उपजी मानसिकता की मौजूदगी आज भी भारतीय समाज की कटु सच्चाई बनी हुई है। तभी तो लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियां न केवल अपनी जड़ें जमाए हुए हैं, बल्कि देश में बने सख्त कानूनों के चलते इन्हें अंजाम देने के लिए नए रास्ते भी खोजे जा रहे हैं।

हाल में राजधानी दिल्ली में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा एक कॉल सेंटर पर छापा मारने पर ऐसा ही दुखद और हैरान करने वाला सच सामने आया है। इस कॉल सेंटर में आइवीएफ के जरिए महिलाओं को शत-प्रतिशत बेटा पैदा करने की गांरटी दी जाती थी। मोटी रकम वसूल कर बच्चे के लिंग की जांच का इंतजाम किया जाता था। गौरतलब है कि हमारे देश में लिंग परीक्षण के लिए कड़े कानून बने हुए हैं। ऐसे में इस अमानवीय गोरखधंधे से जुड़े लोगों ने महिलाओं को विदेश भेज कर लिंग परीक्षण करवाने का रास्ता निकाल लिया। महिलाओं को उन देशों में भेजा जाता था, जहां गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण कराना गैर-कानूनी नहीं है। जांच में सामने आया कि इस आइवीएफ सेंटर के माध्यम से महिलाओं को मनचाही संतान पाने के लिए दुबई, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों में भेजा जाता था। राष्ट्रीय स्तर पर जाल फैलाए इस गिरोह का देश भर में करीब एक सौ आइवीएफ केंद्रों के साथ जुड़ाव था। कहने को प्रगतिशील और बदलाव की राह पर आगे बढ़ रहे हमारे समाज में पंरपराओं और रुद्धियों की जकड़न देखिए कि इस कॉल सेंटर के माध्यम से परीक्षण के लिए अभी तक करीब छह लाख लोगों को विदेशों में भेजा जा चुका है। ऐसे हालात तब हैं जब लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बना हुआ है।

दरअसल, बेटियों की सहज स्वीकार्यता न होने की यह स्थिति इस हकीकत को पुख्ता करती है कि हमारे समाज में विचार और व्यवहार के स्तर पर दोहरे मानक बने हुए हैं। कथनी और करनी का यह अंतर बेटियों के जीवन का दुश्मन बन गया है। नतीजतन, पितृसत्तात्मक सोच वाले हमारे सामाजिक ढांचे में बहुत कुछ बदल कर भी कुछ न बदलने की स्थितियां बनी हुई हैं। कुछ समय पहले आई यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनियोजित लिंगभेद के कारण भारत की आबादी से करीब पांच करोड़ लड़कियां और महिलाएं गायब हैं। अफसोस कि बेटी बच्चाओं-बेटी पढ़ाओं के नारे तो लगते हैं, पर कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियां भी जड़ें जमाए हुए हैं। तभी तो बेटे पैदा करने की चाह में लोग एजेंटों को मोटी रकम चुका कर विदेश तक जा रहे हैं।

राष्ट्रीय औसत के अनुसार देश में प्रति एक हजार लड़कों के पीछे नौ सौ तियालीस लड़कियां हैं। कई प्रांतों में यह औसत काफी कम है। बीते साल आई नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 21 बड़े राज्यों में से 17 राज्यों में लिंगानुपात का आंकड़ा असंतुलित है। रिपोर्ट के अनुसार इन 17 प्रांतों में लिंग अनुपात दस अंक गिरा है। ‘स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत’ की रिपोर्ट 2015–16 के अनुसार गुजरात के अलावा हरियाणा में भी लिंगानुपात में भारी गिरावट आई है। गौरतलब है कि नीति आयोग भी असंतुलित होते लिंगानुपात पर चिंता जताते हुए कह चुका है कि लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए लोगों को बेटियों के महत्व को समझना होगा और जागरूकता लानी होगी।

चिंतनीय है कि बेटियों को गर्भ में मार डालने का कृत्य आपराधिक मामला भर नहीं है। यह पूरे समाज का ताना—बाना बिगाड़ने वाली सोच है। लिंगानुपात का असंतुलन कई मोर्चों पर चिंता का विषय बन रहा है। कई प्रदेशों में बेटों के लिए दुल्हन नहीं मिल रही हैं। दूसरे राज्यों से दुल्हन लाकर बेटों का घर बसाया जा रहा है। इतना ही नहीं, बेटी और बेटों में किए जाने वाले भेदभाव की मानसिकता के चलते आज भी दूर–दराज के गांवों में तो बेटियों की शिक्षा और स्वारथय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। समग्र रूप से देखा जाए तो हमारे समाज में कुपोषित बच्चियों का प्रतिशत काफी ज्यादा है। हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत के बल पर पहचान बना कर आगे बढ़ती बेटियां आज भी अपने अस्तिव के लिए जूझती नज़र आ रही हैं। मोर्चे पर खुद को साबित करने के बावजूद बेटियों की यह जंग उनके जन्म लेने से पहले ही शुरू हो जाती है।

देश का सबसे बड़ा जनसांख्यकीय सर्वेक्षण बताता है कि आज भी समाज में बेटियां, जन्म लेने से लेकर परवरिश पाने तक हर तरह के भेदभाव की शिकार हैं। यह दुखद ही है कि साक्षरता के बढ़ते आंकड़े, तकनीक की पहुंच और बदलते सामाजिक–पारिवारिक परिवेश में भी बेटियों को लेकर सोच जस की तस बनी हुई है। कुछ समय पहले भारत के महापंजीयक की ओर से करवाए गए वार्षिक सर्वे (एसआरएस) में यह बात सामने आई थी कि बालिका भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक विकृति देश के सबसे समृद्ध और शिक्षित राज्यों में भी मौजूद है। इसका सीधा—सा अर्थ है कि लोगों की मानसिकता में बदलाव आना जरूरी है।

भ्रूण हत्या और लिंगभेद के खिलाफ तमाम सरकारी अभियानों और सामाजिक जागृति लाने के प्रयासों के बावजूद लिंगानुपात में भारी गिरावट आ रही है, क्योंकि देश में बने कानूनों का तोड़ निकाल कर लिंग परीक्षण के नए मार्ग तलाश लिए गए हैं। संगठित गिरोह की तरह काम करने वाले ऐसे एजेंट मोटी कमाई करने के लिए बेटियों के जन्म को बाधित करने की सोच रखने वाले परिवारों की राह आसान बना रहे हैं। आखिर क्यों बेटियों के स्वागत और

सम्मान का माहौल आज भी केवल एक उम्मीद भर है? घर—परिवार से लेकर समाज के माहौल तक, आज भी बेटियों के जन्म को लेकर न तो सकारात्मकता दिखती है और न ही दिली स्वीकार्यता। कभी भ्रूण हत्या तो कभी बेटियों को कूड़े के ढेर में छोड़ देने की असंवेदनशील और अमानवीय घटनाएं भी जब—तब सामने आती रहती हैं।

सवाल है, आखिर ऐसा क्यों है कि खेलों से लेकर अंतरिक्ष तक प्रभावी दखल रखने और कीर्तिमान बनाने वाली बेटियों के लिए दुनिया में आने से पहले ही संघर्ष का सफर शुरू हो जाता है? बेटी का जन्म क्यों परिवारजनों के माथे पर शिकन ले आता है? अफसोस इस बात का है कि गांवों—कस्बों में ही नहीं, पढ़े—लिखे शहरी परिवारों को भी बिटियों की चाह नहीं है। यही वजह है कि इसका हल सरकारी अभियान और कानूनी सख्ती से ज्यादा सामाजिक सोच में संवेदनशीलता आने से निकल पाएगा। साथ ही, लिंग अनुपात दुरुस्त करने के लिए सामाजिक परिवेश को सुरक्षित और महिलाओं के लिए सम्माननीय भी बनाना होगा। बेटे की चाहत ही नहीं दहेज, बढ़ते महिला अपराध, लैंगिक असमानता और सामाजिक भेदभाव ऐसे बड़े कारण हैं जो बेटियों की स्वीकार्यता में बाधक बनते हैं। बेटियों के साथ जन्म से पहले ही दोयम दर्ज का व्यवहार न हो इसके लिए लोगों की भावनाओं का बदलना आवश्यक है। भावनात्मक संवेदनशीलता लड़कियों के प्रति समाज का नजरिया बदलने में सकारात्मक और सहयोगी साबित होगी। यों भी बेटियों की शिक्षा, सम्मान और उनके सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे ही परिवेश की दरकार है। हमारे यहां सामुदायिक स्तर पर बेटियों के प्रति मौजूद भेदभाव और असंवेदनशील माहौल के चलते ही मां—बाप को लड़कियां जन्म से पहले ही भार लगने लगती हैं। यह एक जमीनी हकीकत है कि आज भी गांवों—कस्बों से लेकर महानगरों तक बेटियों की सुरक्षा और उनके प्रति कुंठित सोच से उपजी समस्याएं कम नहीं हैं। निस्संदेह यह कुरीति सामूहिक सहभागिता और इससे जुड़े समस्त पहलुओं पर जागरूकता आने से ही दूर हो पाएंगी।

हमारे लेखक

अनामिका देवांगन

(शोध छात्रा)

शिक्षा विभाग, मुंबई विद्यापीठ,
विद्यानगरी, मुंबई

महाराष्ट्र – 400 098

ई.मेल: anamika_dewangan@rediffmail.com

फोन नं. 9869355833

डॉ. धानेश्वर हरिचंदन

(शोध निर्देशक)

प्रोफेसर सह प्रभारी निदेशक,
दूरस्थ व मुक्त शिक्षण संस्थान,
मुंबई विद्यापीठ, विद्यानगरी,
मुंबई

महाराष्ट्र–400 098

ई.मेल: dharichandan@rediffmail.com

रचना सिद्धा

4 / 462, मालवीय नगर

जयपुर 302 017

कार्यक्रम अधिकारी

राज्य संदर्भ केंद्र

जयपुर

उमेश चमोला

शिक्षक—प्रशिक्षक

राज्य शैक्षिक अंनुसंधान एव प्रशिक्षण परिषद् राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भवन
नालापानी, देहरादून, उत्तराखण्ड, देहरादून।

मो— 7895316807,

ई मेल— [u.chamola23@gmail.com.](mailto:u.chamola23@gmail.com)